THE CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) BELL, 1992

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh) : Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Consumer Protection Act, 1986.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Madam, 1 introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1992 (TO AMEND THE EIGHTH SCHEDULE)

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

The question \was put and the motion was adopted.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

THE BIHAR ATOMIC AUTHORITY BILL, 1992

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया मैं, प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य में बिजली के उत्पादन के लिए एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के प्रयोजनार्थ एक परमाणु प्राधिकरण की स्थापना तथा तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

The question (was put and the motion was adopted.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1992 (INSERTION) OF NEW ARTICLE 19A)

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

The question was put and the motion un-adopted.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1990 (TO AMEND ARTICLE 51A)

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa) : Madam, I beg to move that the Bill further to amend the Constitution of India, toe taken into consideration. Madam, as I mentioned earlier it is only a small Bill. It it a Bill which is non-controversial. It it a Bill which seeks to amend article 51A regarding fundamental duties. The Constitution was amended in 1976 and we saw to it that certain fundamental duties were introduced in the Constitution. After many years the Parliament saw that the Constitution enshrined only fundamental rights and fundamental duties were not enshrined in the Constitution. Therefore, I feel it was very appropriate for the Government to amend the Constitution and insert a new chapter and a new clause, that is 51A. But nowhere in the statute has it been mentioned that voting is a duty. If we go through the Objects and Reasons of the Bill we find that most of the evils in public life like corruption in public life are because of this. It is not compulsory for every citizen to vote. Votes have become a purchasable commodity in the market. In view of this I feel it would *be* appropriate if this non-controversial clause is introduced in the Constitution. Our Constitution is a modern Constitution because this Constitution was derived after debating for years together. I think it took three years lor the framers of our Constitution to debate it in the Constituent Assembly. I think it is the best because we have copied, we have taken the best from six Constitutions of the world, that is, the USA, Canada, Great Britain—which is an unwritten Constitution, Germany and even Switzerland. I say the best because in Switzerland, if you see the Swiss Constitution, you will find that women did not having voting rightt up to 1971. So we

have not taken the bad part. Our Constitution is not rigid. It is a vibrant and a flexible Constitution. The very fact that the framers of our Constitution inserted article 368 goes to prove this point that the Constitution is most vibrant. It is a living Constitution which can rise to the occasion and change from time to time according to circumstances and as the country or the society may demand. Democracy in India, we now, was not given to us on a platter by the colonial masters. We had to fight for it. Our freedom-fighters had to shed their blood. Therefore, the Constitution and the institution of democracy is hard-earned and it is the duty of every citizen to see that it is vibrant, workable and that it continues for posterity. It is said that Indian democracy is the largest working democracy in the world. But at the same time it is shocking to see that most of the citizens do not participate in elections. They do not vote. We find at tiroes only 45 to 50 per cent of people have voted and yet the Government is elected and although it is a minority Government it goes to office and it rules. Democracy is role of the majority. I feel there is some flaw somewhere in the statute that it is not made mandatory, that it is not obligatory for a citizen to vote. We have witnessed it as observers of political parties. We go to many States to conduct elections. Specially, when I went to the North-East region—I mean no insult tor that region—but it was very shocking to note that the ballot papers were brought out from the election booth and they were sold as commodities in the market. They were quoting it at thousands and thousands of rupees. So that makes a mockery of our democracy because every citizen feels that the ballot paper is a commodity and can be sold. It is also felt further that politicians are at the mercy of the votes. I do not think we can clap with one hand. We cannot run this democracy by politicians themselves. And in our country, to be in politics is taken as some sacrilege or offence. When we say that we have to run the institution of democracy, it is for every citizen'to participate in it. So I feel that this is the first step that by inserting this article in the fundamental duties, it will become an obligation on the part of a voter to see that he doesn't sell his vote or that he doesn't demand seme transport or other facilities from a candidate or a political party. Madam, there are small countries—let me name only three of them—Peru, Malaysia and Singapore, where voting at an election is mandatory. Not to vote is an offence there. And these are small democracies. Our democracy, as we boast, is the largest democracy, most modern democracy, the most feasible, working democracy. I feel that it is not proper for us to linger on with the drawbacks of the statute, drawbacks which were not inserted in our Constitution. I feel it is high time that We reviewed all the electoral laws in the. statute and saw that the lacunae which gave rise to the malpractices in the society were removed. In India to be in politics is considered a dirty game and every politician is looked down upon With contempt. I don't think it is proper tor the other part of the soclety to brand the political sections of the sotiety in this fashion. In India to be in politics is a social sacrifice. We are not patd the politicians are not paid, whereas in otfeer countries, say in Germany, every person who is in public life, in politics, is paid by the State. The elections are fought by the State. So 1 feel that it is high time we rose, we woke up and ensured that Our democracy was made more workable. As I have already mentioned, the voters' turnout is very poor. And the time may come when only 20% of the people would Vote and a Government formed. I* don't think it is good. That will defeat the Very *pat*-pose... *(Interruptions).*

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa) : Members do not come to the House also.

SHRI JOHN F. FERNANDES: There-fore, I say that it will be obligatory on the part of the Members also. They Witt have to come and vote for this Bill. I feel that before it is too late, we should rise to the occasion and we have to see that the evils in our society are plugged. I feel the main reason for corruption in public lifts, in politics, is that the voter has no oeligations to vote. Therefore, he demands money from every candidate, every political party, which in turn forces the Government in power to see that money is got by illegal means. It is a known fact in our country that in our economy, 66% is Mack money and only 48% is white. This is as stent. So I feel that this is one of the staid

[Shri John F. Fernandes]

backs where a politician has to see that he gets money to flight an election, to win ail election and to run the Government. This is a vicious circle. So I think that by considering my amendment, it will be the first step towards amending the other sections or the other Acts in the statute. I think we have to overhaul all our electoral laws. There is a national debate as to .whether the political parties and the election should be funded by the State. I feel .that it will be most appropriate that to do away with the evils of our society and the corruption in public life, the elections should be regulated by the State and the political parties, the politicians, should be ., funded by the.State because when a person ^ becomes a politician, he becomes a full-\ time public worker; he doesn't have any , other work. . . (*Interruptions).*

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Then everybody will become a politician.

. SHRI JOHN F. FERNANDES : They are most welcome because it is they who have to run the institution of democracy. So I think that it will be an inspiration for more and more people come into public life," as. mentioned by my colleague. I feel "that more and more people should enter .politics because without their participation in the day-to.-day political affairs of the .country, I don't .think that this democracy " can function. A day. might come when we would have slipped into some oblivion and some tyrant would have taken over us. I hope I will get the support of this .. House on this Amendment Bill. I do not .feel that the Government will have any .Objection to see that this small amendment . is inserted-in the Constitution of India. I would also like to request the Government • to see that .right to vote is .made a funda-,.-. mental right and any voter who does not '..'• vote should be made liable for punishment.

Small countries like Peru, Malaysia, ' 'Singapore etc. have this law. If these small countries can have this law, I do not know why our country should not have this law ' so that our democracy, which is hard- earned is carried on for many years to cornel I hope the Government will not dont ask me afo "withdraw this Amendment Bill. Wth these few words, I: solicit the support of this august House and request the Government to see that this Amendment Bill is passed and included in the Constitution.

Thank you, Madam.

The question was proposed.

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, माननीय फर्नांडिस जी ने 51(ए) में संशोधन हेतु अपना बिल सदन में प्रस्तुत किया है । बिल की भावना के पीछे, उसका मंतव्य अगर देखें तो वह यह है कि बड़ी सी बड़ी तादाद में, बड़ी सी बड़ी संख्या में देश के नागरिकों को चुनावों में वोट देना चाहिये । यह इसकी भावना मालूम पड़ती है । दूसरा वह चाहते हैं कि यह मैंडेटरी न हो, औब्लीगेटरी, फंडामेंटल ड्यूटीज में यह शुमार हो जाये । यह उनका मकसद है कि यह संविधान में स्थान पा जाये। सचमुच हमारे लिये और सारे देश के लिये यह बड़े गौरव की बात की है कि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से एक डेमोक्रेसी है और यहां पर बड़े फेयर इलेक्शन होते हैं । इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन दूसरे लोग सोच भी नहीं पाते हैं । हमारे लिये यह बड़े फख्र की बात है कि हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के नागरिक हैं, उनके नुमाइन्दे हैं और हिन्दुस्तान का जो सबसे बड़ा पार्लियामेन्ट हाउस है, उसके हम सदस्य हैं । तो सवाल यह उठता है कि आखिर भारत के नागरिक जो इनकी किस्मत तय करते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के भाग्य और उनके जीवन को तय करते हैं, निश्चित करते हैं, जिस पार्टी को वह सरकार बनाने और शासन चलाने की आज्ञा देते हैं, तो आखिर इसके लिए वोट बड़े पैमाने पर क्यों नहीं हो पाता? लोग इसमें क्यों दिलचस्पी नहीं लेते हैं यह एक बुनियादी सवाल खड़ा हो जाता है । देश की भावी पीढ़ी के विकास के लिये, देश का शासन चलाने के लिये यह जो तरीका है, फैसला करने का, वह भी वोट के जरिए, सब की राय से---प्रजातंत्र में सभी, शासक वोटर सभी देश के मालिक होते हैं फिर वे वोट देने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते हैं यह बुनियादी सवाल है । यह बिल जो श्री फर्नांडिस जी ने रखा है, इससे यह बात उत्पन्न होती है और मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी बुनियाद में हम देश के नागरिक बड़े

[चौधरी हरि सिंह]

पैमाने पर इलेक्शन में उत्साह के साथ भाग लेने के लिये क्यों प्रस्तुत नहीं होते, इसकी बुनियाद में बहुत सारी चीजें हैं । इसका जो कारण है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । एक तो सबसे बड़ी बात मेरी नजर में यह है कि हमारी पार्टियों के द्वारा, विभिन्न ग्रुपों के जरिये जो अधिकांश कैंडीडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी पोलिटिकल जिन्दगी या देश के निर्माण से, देश के विकास से या नागरिकों के कल्याण से उनका कोई वास्ता नहीं होता । रेडी-मेड कैंडीडेट मिल गए, हवा आ गई, लहर आ गई, खड़े हो गए और मंत्री भी बन गये । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कभी-कभी बहुत से नागरिक ऐसे कैंडीडेट्स के जीत जाने पर और मंत्री बन जाने पर हंसी करते हैं । डेमोक्रेसी का जो मार्गदर्शन है, प्रजातंत्र के जरिये जिसके हाथ में भारत का शासन आना चाहिये उसका कोई करेक्टर, फिलास्फी, दर्शन, देश का निर्माण तथा भारत के नागरिकों के जीवन दर्शन का चित्र उनके सामने होना चाहिये । जब एक अच्छे स्टफ का कैंडीडेट होगा तो उतना ज्यादा उत्साह हमारे मन में आता है । हम जानते हैं जहां अच्छे-अच्छे कंडीडेट चुनाव में खड़े होते हैं, जो क्षेत्र की सेवा करते हैं, जिनका राजनैतिक कैरियर होता है, जो लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, जो जनता को बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए आम तौर पर संघर्ष करते हैं, जूझते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को बगैर पैसा खर्च किये भी लोग जिताने की कोशिश करते हैं । हमने यह देखा है कि ऐसे चुनाव क्षेत्रों में मत डालने का प्रतिशत बहुत अधिक रहता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी पोलिटिकल पार्टीज और पोलिटिकल ग्रुप्स के सामने और इंडीपेंडेंट उम्मीदवारों के सामने भी यह सवाल है । हमारे कैंडीडेट्स का जो स्टफ है वह बहुत अच्छा होना चाहिये । यह जिम्मेदारी इंडीविजुयल्ज पर नहीं आती है क्योंकि हर I only am the "I am the best candidate, winner candidate, I alone can change the fate of the country." and so on.

यह तो इंडीविजुयल्ज की राय है लेकिन राजनीतिक पार्टियों का यह दृढ़ संकल्प होना चाहियें कि उनकी तरफ से जो भी कैंडीडेट आए वह आदर्श कैंडीडेट हो । इससे वोटर्ज के मन में वोट डालने का उत्साह पैदा होता है। एक बड़ा संकट यह भी होता है कि पोलिंग स्टेशनों पर जब वोटर जाता है तो वहां पर यह देखता है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, कोई ला एन्ड आर्डर की व्यवस्था नहीं है । पता चलता है कि वोट डालने से पहले ही उसका वोट पड़ गया अर्थात् बोगस वोटिंग हो जाती है । आप जानते हैं कि वोटर खर्च कर के घर से जाता है, तैयारी करके जाता है, लाइन में खड़ा होता है, इन्तजार करता है जब पोलिंग बूथ में पहुंचता है तो पता चलता है कि वोट तो पड़ गया । इससे वह निराश हो जाता है, चला जाता है । तीसरा, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो वोटिंग मशीनरी है वह भी वोटर्ज के लिए हेल्पफुल नहीं है । उनको कागज पलटने में दिक्कत होती है । देखते हैं आपका नाम ही नहीं है, वोट पड़ गया, वह पैन्स लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं । जैसे मैंने निवेदन किया कि हमारे पोलिंग स्टेशनों पर ला एन्ड आर्डर हो, अमन और शान्ति का वातावरण हो। वोटर्ज को यह लगना चाहिये । कि हम को वोट देना है, उनको यह एक पर्व की तरह लगना चाहिये त्यौहार की तरह लगना चाहिये। उनको यह महसूस होना चाहिये कि वोट डालना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। लेकिन जब वहां पर झगड़े हों, डंडा-लाठी लकड़ी चले, कोई काफिला आ जा जाए और सब जला-जलू कर चला जाए तो कौन वोट डालने जाएगा, आर्य कर्नीवज जी ? मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, यह सब की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह यह सुनिश्चित करें कि लोग शान्तिपूर्ण ढंग से वोट डाल सकें । यह जो पोलिंग स्टेशन हैं यह कम से कम इलेक्शन के दिन बिलकुल मन्दिर और धर्म के स्थान की तरह से पूज्यनीय होने चाहियें। यह डंडा-लकड़ी पत्थर का जो तमाशा बना रहता है वह खत्म होना चाहिये । यह गवर्नमेन्ट की ड्यूटी भी है और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जितने लोग हैं उनकी भी ड्यूटी है । कौन जानता है कि कल को यह मंत्री बन जाए । इसलिए यह उनकी सब की ड्यूटी हो जाती है । तीसरा बड़ा सवाल है

[चौधरी हरि सिंह]

बोगस वोटर्ज का । इस को खत्म करने के लिए मैं यह मशविरा देना चाहता हूं कि हर वोटर के पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिये। वह अपने आइडेंटिटी कार्ड को जा कर दिखा दे और वोट डालने के बाद उसके आइडेंटिटी कार्ड पर निशान लगा दिया जाए कि वोट पड़ गया । यदि किसी के पास आईडेंटिटी कार्ड नहीं है तो उसको वोट नहीं डालने दिया जाना चाहिये । यह कोई एक दिन का, दो दिन का काम नहीं है । यह बड़ी खुशी की बात है कि हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी इलेक्शन मशीनरी मौजूद है और इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट बाडी है । हर जिले के लेवल पर परमानेंटली अधिकारी नियुक्त है जो ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ और डे टू डे बराबर फंक्शन करते हैं । आइडेंटिटी कार्ड दिये जाने के बाद बोगस वोटिंग को रोका जा सकेगा । यह खर्चीला साधन अवश्य है लेकिन राशन कार्ड चरित्र प्रमाण-पत्र तथा बहुत सारे वेरीफिकेशन के लिए आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत पड़ती है । इलेक्शन के लिए हर वोटर का आइडेंटिटी कार्ड बन जाए । खर्च के बावजूद भी एक बार सरकार को हिम्मत करके डिसिजन लेना चाहिये . . . .

3-00 P.M.

कि हम आइडेंटिटी कार्ड्स बनाएंगे और तब इससे बोगस वोटिंग रुकेगी । इलेक्शन में सबसे बड़ी बात कहते हैं कि वोटिंग खरीद लेते हैं । हालांकि सरकार ने इसमें स्टेप लिया है लेकिन अमल में नहीं आ पाता है । एक सवारी का, वोट ढोने का मर्ज चल पड़ा है और जो आदमी सबसे ज्यादा गाड़ियां लगा देता है, तांगा, इक्का लगाता है वह वोट भी जबर्दस्ती लेकर चला जाता है चाहे बहुत अच्छा कैंडीडेट भी खड़ा हो । इस पर सरकार को स्ट्रिक्ट तौर पर करना चाहिए कि उस दिन कोई भी गाड़ी वोट ढोने में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। वह भी हो जाना चाहिए कि जो लोग अपनी गाड़ी से, व्हीकिल से जाना चाहते हैं अपने परिवार को लेकर, मय टग्गी से लेकर, रिक्शा से लेकर, वे अपना नाम लिखा दें कि मैं अपने परिवार को लेकर जाऊंगा । यह नहीं कि उसको किराये पर चलाते रहें । तो यह रुकना चाहिए ।

तीसरा, जो बड़ा एक्सपेंसिव खर्च पड़ता है वह यह कि हर कैंडीडेट अपनी आइडेंटिटी स्लिप बांटता है । इससे कैंडीडेट का भी बड़ा खर्च होता है । लाखों रुपया छपाई में चला जाता है । मैं समझता हूं कि करोड़ों रुपये का खर्च इस बात में हो जाता है कि कैंडीडेट को अपनी स्लिप छपवानी पड़ती है और उसको घर-घर बांटता है और वह प्रापर हो भी नहीं पाता । तो मेरा इस वक्त सजेशन यह है कि वोटिंग करवाने के लिए सरकार को बाकायदा बहुत कायदे के साथ, अच्छी कंडीशन में बनी होने के साथ आइडेंटिटी स्लिप घर-घर में बंटवानी चाहिए, भले ही वह कैंडीडेट से उसका रुपया भी ले ले कि पर कैंडीडेट इस काम के लिए सरकार को इतना रुपया देना होगा । सरकार खुद अपने कर्मचारीगण डेलीवेजेज में भर्ती करके इस काम में लगाये और उनसे आइडेंटिटी स्लिप बंटवाये यह नहीं कि कैंडीडेट करे। क्योंकि बड़ी परेशानी होती है, लाखों परेशान होते हैं, कैंडीडेट परेशान, ये परेशान और खर्च का तो यह है कि जिसके पास पैसा होता है, ब्लैक मनी, वह बड़ा इलेक्शन में पार्ट प्ले करती है । ब्लैक मनी पर सीधे तो उन दिनों आप रेड डाल नहीं सकते, इलेक्शन कैंडीडेट हो जाता है । आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं, उनके खाते नहीं देख सकते हैं आमदनी के लेकिन जो कर सकते हैं वह यह है कि उनकी गाड़ियों पर लिमिट हो सकती है कि कितनी गाड़ियां चलाएंगे । किस-किस नम्बर की गाड़ी होगी, किससे आप पैट्रोल लेंगे । यह सारा जायज, प्रेक्टिकल रूप में होना चाहिए । थ्योरेटिकल तो कह देते हैं कि इतनी से ज्यादा गाड़ियां नहीं चलाएंगे। अगर ब्लैक मनी का हम प्ले रोकना चाहते हैं, इलेक्शन और वोट को परचेस करने से रोकना चाहते हैं तो हमको यह करना होगा कि जो खर्च की एक्चुअल लिमिट रखते हैं उसे ज्यादा न देखकर अमल से, काम से, प्रेक्टिस से, उसके रखाव से, खर्च से, पब्लिसिटी से और अन्य सारी चीजों को देखें तब ब्लैक मनी का प्ले रुकेगा, वरना जिसके पास ज्यादा रुपया होता है वह जीत जाता है, इलेक्शन को मैन्योवर कर लेता है । इलेक्शन उसी के हाथ में होता है जिसके पास पैसा होता है। माननीया, मैं यह कहना चाह रहा था कि इलेक्शन को अगर ठीक से चलाना है तो उसमें

क्योंकि मनी का प्ले हमको रोकना होगा । बहुत सारे नान-सीरियस कैंडीडेट्स जो खड़े हो जाते हैं उसको रोकने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है । कैंडीडेट के डिपाजिट का कुछ रुपया बढ़ाया गया है । लेकिन रुपया आज के वक्त में क्या है उसके लिए जो कैंडीडेट खड़ा होता है । एक बड़ी प्राब्लम यह हो गयी है कि इतने कैंडीडेट खड़े हो जाते हैं कि और तो और एक नया हैंडिल और निकल गया है काउंटिंग टेबुल को कैप्चर करने के लिए . . . (व्यवधान) माननीया, मैं आपका ध्यान विशेष तौर पर चाहता हूं । जरा इसे ध्यान कर लीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप बोलिए ।

चौधरी हरि सिंह : माननीया, जो एक सबसे बड़ी बीमारी इन इलेक्शंस में आ गयी है वह शायद आपकी जानकारी में होगी और वह यह है कि आज तो इलेक्शन की जो काउंटिंग टेबुल्स होती है उनको कैप्चर कर लेते हैं इसलिए कि इतने कैंडीडेट खड़े कर देते हैं और अपने पैसे से कैंडीडेट खड़े कर देते हैं, ये डमी कैंडीडेट होते हैं लेकिन जब काउंटिंग होगी तो हर कैंडीडेट उतने ही काउंटिंग एजेंट होंगे जितने कि रीयल के या पीर्टी कैंडीडेट के, जो सीरियस कैंडीडेट है, उसके होंगे । नतीजा यह होता है कि एक कैंडीडेट सारी टेबुल्स को सारे बूथ को या जो सारा कैम्प है उसको कैप्चर कर लेता है । नतीजा यह है कि जिसके पास पैसा है जो ज्यादा कैंडीडेट खड़े कर देता है वह काउंटिंग में गड़बड़ कर देता है । काउंटिंग प्रापर नहीं होने देता है । यह बुनियादी बात मैं आपसे कह रहा हूं । यह एक नया निकला है । इस पर भी हमारी सरकार को, इलेक्शन कमीशन को रोक लगाने के लिए ध्यान देना चाहिए कि जब तक नान सीरियस कैंडीडेट्स मैदान से नहीं हटेंगे इलेक्शन में कोई गम्भीरता नहीं आ सकती है, प्रापर वोटिंग नहीं हो सकती, इलेक्शन नहीं हो सकता । यह चीज बहुत आवश्यक है । तो मैंने आपका ध्यान इस ओर विशेष तौर से खींचने का आग्रह किया और आपकी चंद मोमेंट्स के लिए मैंने वोट भी इसलिए की कि आप बड़ी वोकल हैं जगह-जगह बात भी करती हैं, पार्टी से संबंधित भी हैं, मेरी तरह से — इस बात को आप रखेंगी कि आजकल तो काउंटिंग की वजह से इलेक्शन अफ्फेक्ट भी कर देते हैं । इसको कानूनी तौर पर बड़ी मजबूती से शक्ल लेकर इसकी करना चाहिए।

मैं ज्यादा इस बात में न कह कर के यह कहना चाहता हूं कि इस बिल की भावना बहुत अच्छी है, लेकिन डेमोक्रेसी में यह वोटर के ऊपर नहीं, बल्कि पार्टी के ऊपर, कैंडिडेट्स के ऊपर है कि वह कितना इलेक्शन के प्रति उत्साह पैदा करते हैं मासेज के अंदर, उनको कितना तालमिल करते हैं, एट्रैक्ट करते हैं अपनी पालिसीज के लिए कि लोग अपने घर को, चैन-आराम को छोड़ कर वोट देने के लिए पहुंचे । अपनी भावना से डेमोक्रेसी की खातिर देश की तकदीर और पालिसी बनाने के लिए तभी बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी ।

मैं इन अल्फाज के साथ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal) : I thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion earlier. I do. concede that this is a very simple But and a very timely Bill and it is in the interest of democracy in the country, as was explained by the mover of the amendment to the Constitution, proposing ame&dbntat of article 51A of the Constitution, to mate it obligatory on tie part of each citizen to cast his or her vote in the elections to Parliament or State Assemblies or to the local bodies. He has expressed his intention to make the elections really representative, people's election, or I should say he has tried to make the election as an expression by the people through voting, which under the present circumstances is not always the case hem I know of the difficult circumstances obtaining in ' the State of Punjab when these elections were held, or even earlier elections tela in Assam. These were the extreme case of very difficut circumstances, no doubt, when even the ardent supporters of these elections could hardly claim these elections as truly representative.

I can very well claim that I have seen more elections thia (fce motel of this amendment to the Combition, because

[Prof. Saurin Bhattacharya] of accident of earlier birth. 1 witnessed these elections in the British days and I saw successive elections after Independence. And I am compelled to say that our election has always been, at the beginning, with a reasonable amount of corruption— reasonable in the sense of Indian law— but then it crosses the reasonable limits and we got used to terms like rigging or booth-capturing and similar other things which are very well known, of course, in this part of the country though not very unknown in other parts of the country as, well. The biggest democracy of the world, that is, the sovereign, socialist, democratic Republic of India, has not witnessed for the last 25 years elections which were not debased by such features. Corruption, is a very mild term, perhaps. It is a play of big money. We have a formal democracy—one man, one vote; but the exercise of that vote is in most cases not independent, not really representative. Therefore, while I endorse the amendment moved by Mr. Fernandes, I would, at the same time say that by this alone, we would not be able to free our electoral system from the innumerable deformities from which it suffers. ,

We are, no doubt, the biggest democracy in the world. But we are, perhaps, the weakest democracy with the most wretched deformity. ' This has to be admitted. Accordingly, remedial measures have to be taken. It is very difficult to say whether public funding of elections alone would solve the problem, considering the fact that in our country, there are really no independent authorities, authorities who can act independently, equitably and judiciously. No institution in the country is free from the taint of corruption, from the taint of wrong utilisation of powers, whether it is the Election Commission, whether it is the apex court in the country, or, the other agencies which are supposed to be independent agencies, Constitutional authorities. Of late, we saw, under what circumstances, the last Attorney-General had to vacate his office. We know that a case is" pending against a Supreme Court judge. It is better not to speak about the Election. Commission, as it- is run today.

under; these overall circumstances, it wouWhbe too much toexpect that only this obligation, only this amendment to the Constitution, would serve as a magic wand to redress all the ills from which bur electoral system suffers. Nevertheless, suggestions, so far as they go, I should say, are all to the good. Of course, it may not be possible to do everything at one stroke. But the most important thing is that people have to participate in the electrol process. We have seen, perhaps, never before more glaringly, more brightly, I should say, than in 1977, that when people were aroused, when they participated, when they considered the elections as a people's movement, so to say, the jolly oppressor had to beat a hasty retreat in his trail.

Now, we have not been able to sustain it. We have not been able to sustain this tempo of popular awakening. It may be because, none of us, in our practice and even in our profession, has been true to the democratic principles. I don't say that only this party or that party—whether it is the biggest party or the smallest party— is responsible for the electoral malpractices, for the rigging, for the booth-capturing, for the free play of muscle power, etc. All parties enjoy doing it. At best, or, at the worst, their explanation is 'when other people do it, what can we do? The picture is the same, whether it is the biggest party, i.e. the ruling party, at the present moment, or, the main opposition party—without any reflection on the Chair—or, my own party, or, the biggest party in my State, or, any other party. All of us are tainted that way.

Therefore, the process of rectification— if the use of a very pious word is permitted—of purification, should be 'started, by one and all. Unless that can be done, this amendment would be not help that much. Even then, this is a small beginning and it may at times unleash the ways and means to athieve greater things. With that end in view, if the peoples' participation in elections is not just 25 per cent, 45 per cent or 50 per cent but 95 per cent, all the corruption in the electoral system will be a matter of history, a matter of the past. But do you want it ? If we really want it, if the people who are playing the game of democracy within Parliament, within Assemblies and cut-side want it, let us join hands together,

let ns take steps with a firm hand to eradicate these evils from our electoral system.

Therefore, I think Mr. Fernandes' amendment can be a small beginning and whole-h;artedly support it.

If the Government is on the verge of accepting the amendment, let them bring forward an amendment on the basis) of this and let them take the credit for making a small beginning towards electoral transformation.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Madam Vice-Chairman, thank you for givin me this opportunity. Though it is a simple amendment brought forward by hon. John Fernandes, it is an important amendment. In a democratic country people demand their rights. Fundamental Rights are already enshrined in our Constitution, but we forget our duties, whether they are in public life or in political life. We forget our duty towaids our nation. This has been the practice for a long time. In a democratic country liberty, equality and fraternity ought to be respected in the political system and also in the electoral law with the passage of time circumstances have changed. The electoral laws which have been prevailing right from 1950 onwards need greater changes. Looking to the changed circumstances respective Central as well as State Governments have brought in certain legislations for free and fair elections, but in spite of that the political parties as a whole and an individual as a candidate in the election field try to flout those election laws. We have also seen how malpractices take place. Booth capturing, murder, money power, muscle power, are the under of the day and for this all political parties—I am not saying this or that party—have to be blamed. This is happening because the people of this country want that their candidate must be elected and come to power. In spite of all these electoral malpractices in our country, the will of the people has prevailed. This has been witnessed by us in various elections *to* Lok Sabha and to State Assemblies. Madam, the people, whether they are educated or not, whether they are the rural people or who have not even gone to the school, feel that gates' and voting in the election is an insult to them. Madam, I will give you a small example ... *(Interruptions)* ...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मीणा जी, कृपया थोड़ा धीरे बोलें। जो सदस्य बात कर रहे हैं, वे थोड़ा धीरे बात करें। सदन में डिस्टर्बेन्स है। वोल्यूम धीरे रखिए।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : मैडम, न बात करें, ऐसा कहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : नहीं, जो कर रहे हैं इतना करें कि आपस में सुन सकें।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : आपके लिए नहीं है, नारायणसामी जी, आप तेज बोल सकते हैं। यह उनके लिए है।

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam here, whether they are educated people or people in the villages or people who have not even gone to school, they feel that they have no fundamental duty to go to the polling booth, stand in the queue and vote in the election. But in the western countries we find that people feel it is their duty to go the polling station and vote to elect their representatives. But here it is not the people who are uneducated alone who abstain. People who are officers and people who are highly educated feel that when they go and stand in the queue, their prestige is lowered down. This is the practice which is prevailing in this country. Not only this. People who opt for postal ballots do hot cast their postal ballots. The officers who are drafted for election duty at the various stations, apply for and get postal ballots but they are not casting their postal ballots. So, this is the state of affairs hers.

As far as I am concerned, I fed that the people of this country should be made to go to tile polling station and vote for whichever candidate they want, just as they demand their fundamental rights like liberty, equality and fraternity.

Madam, here I will give a small example of the election expenses and the number of votes polled during the election to the 9th Lok Sabha. 49.8 crores was the total electorate for the Lok Sabha in 1989,

[Shri V. Narayanaaamy] Out of these, only 30.9 crores only bad voted for the Parliamentary election. It means about 19 crore people had not voted. In the 1991 Parliamentary elec tion/the total electorate was 51.4 crores. But the figures have not come about the total number of persons who had voted in the election to the 10th Lok Sabha. I think more than one-third of the total voters had not exercised their franchise in this.

When we go through the statistics, as far as the election expenses are concerned, including revision of the voters' lists in our country for the 9th Lok Sabha election we find that the Government bad spent about (Rs. 98 crores for conducting this election. Rs. 14.5 crores were spent on the preparation of the electoral rolls. So, the Government is spending so much money in our democratic system for the purpose of conducting free and fair elections but we find lack of interest on the part of the people of this country in going to the polling station and exercising their franchiae.

That only educated people are going to vote and uneducated and rural people are not going to vote is not the case. I have tine experience of being am election agent for one of the Members of Parliament of my State. There, in one village alone, 98 per cent votes had been polled. In the villages people come in large numbers to exercise their franchise, the reason being that they consider election day as 'auspicious for them. They feel that they are electing their representatives. But, if we take the case of town limits, in no State does the polling exceed 40 per cent, 38 per cent to 40 per cent. In the morning in the town limits the voters will not come to the polling station. The polling stations will empty. The people come only after three o'clock. The voters can be seen inly for two, three hours. Then the voting will be over. Therefore, in the urban limits the voting patterns in all the States differs this way compared to the rural limits.

Another aspect is that the people who want to vote in elections, both in the urban areas and in the rural areas, supposing there are four candidates, will not go to the polling station to vote. They will wait far the candidates agents to so to them and request them on the day of the election, inspite of the electioneering by the candidates concerned.

Not only that, but I have a bitter experience of meeting the people who went to the extent of even asking, "The other candidate has given this much amount. Why has your candidate not given this amount ? Therefore, I am not going to vote." That tendency is there among the people who have enrolled themselves as voters in various constituencies.

On the other hand, impersonation is there. There are a large number of people who have become professional voters. I know personally one individual voted 30 times in a single day in various polling stations. Impersonation has become a common phenomenon. Apart from rigging, scaring the voters away, apart from aill these things, impersonation has become a common phenomenon in our election process. 9 fine suggestion has been given by Hari Singhji. Multi-purpose identity cards have to be given to all the citizens of the country. The persons who are eligible to vote, should carry their identity cards, and they should go to the polling station and exercise their franchise. By this we can at least minimise the impersonation, the money power and the muscle power in the election process in our country.

Madam, another peculiar aspect is that, supposing the voters of a constituency have received money from a candidate who has been elected, when a voter goes to him for the purpose of some public work, for solving the problems of the constituency, the elected representative says very frankly to him, "You have not voted for me freely. Therefore, I need not oblige you." Therefore, this kind of corrupt practice should not be allowed. Though in the electoral laws provisions are there against corruption, it is very difficult to establish, very difficult to prove that the voters were given money by the candidate or the candidate's agent.

Not only that, in our electoral system there is no fair play. We see only the negative side, and we do not see the positive side of the election process. We go by rules, but we do not see the realities. Even for registration of voters there is a lot of influence by various political parties including the party in power in the State.

I have bad a bitter experience *at* the border areas between Tamil Nadu gad my State. The people in these areas aire voters in Pondicherry as well at in Tamil Nadu. What do they do ? In Tamil Nadu an election takes place. After two months an election takes place in my place. They go and exercise their franchise in my State. When elections take place in Tamil Nadu, they exercise their franchise in that place also.' They are tilting the balance. They are the persons who are the deciding factor in the election process in the border areas. They are Indian, but they should not misuse their right. Madam, what they do, they do in a very calculated manner. They register their names in their relatives' houses on the other side of the border. If you go for an enquiry or at the time of verification for revision of the electoral rolls if the officer concerned goes there and verifies it, they give the correct names of the persons who are from the areas in Tamil Nadu. They give the names of the persons as if they are residing in the Pondicherry State. They had been brought in large numbers on the day of polling and their duty was to cast their votes, get the money and go back to Tamil Nadu. Neither we can identify those persons that they are from Tamil Nadu nor we can prove that they are not residing in Pondicherry because they have got a foolproof system. A number of people living there have got ration cards in our place. The persons who are in power are the persons who know the entire electoral system. They try to manipulate and see that those persons are the deciding factor for winning the elections in those particular constituencies.

As far as the Lok Sabha election expenses are concerned, the candidate has to give a declaration before the Election Commission that he had spent only Rs. 35,000. The declaration given by the candidate is accepted by the Election Commission. The candidates give vouchers for that which are all false. Right from the day a candidate is elected to the Lok Sabha or to the State Legislature he files a false affidavit, a false declaration before the Election Commission that the election expenses incurred by him in his constituency were only Rs. 35,000. So many affidavits and declarations have been filed by various candidates before the Election Commission. The permissible limit is exceeded usee them Rs. 48,000 or Rs. 49,000. But the candidates file the affidavits like that and the Election Commission accepts them. When the Election Commission is not verifying the veracity of the declaration given by the various candidates who have been elected, why should they ask for such declaration from the candidates ? This is a mockery. The Election Cimmission is going by the rules and not seeing the reality. (*Time bell rings)*

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam it it my right to speak.

THE VICE- CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Yes, it is year right but within rules and time.

SHRI V. NARAYANASAMY : On Private Members' day, I think, there it so time-limit fixed for a Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : You haw already taken sixteen minutes. There are so many other speakers who want to participate. Please try to conclude. We have time only up to 5 o'clock.

SHRI V. NARAYANASAMY : My Ml is also mere. I am also more concerned about it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : That is what I am saying. II you want that your Bill Should be taken up, then, it is all the more reason for you to conclude.

SHRI ISH DUTT YADAV : You have started from Pondicherry. When will you come to Delhi ?

. SHRI V. NARAYANASAMY : I am coming only to Delhi.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : You try to con, chide not just now but after three minutes. You have already taken 16 minutes.

SHRI V. NARAYANASAMY : Skipping other points, I will confine myself only to the ___

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARJ) : Only to the in portant ones.

SHRI V. NARAYANASAMY : Though . the last point was not relevant for the purpose of this Bill..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Then, leave it. Take another one.

SHRI V. NARAYANASAMY : That is - necessary.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Then, speak relevant things.

SHRI V. NARAYANASAMY : I am not saying it is an irrelevant thing. The word "irrelevant' has got a different meaning and the words 'not relevant' have got another meaning.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Okay, less relevant.

SHRI V. NARAYANASAMY : Delimitation is an important thing and all the political parties are very much concerned about it. Candidates are getting elected from the reserved constituencies for more then 20 or 25 years. Those constituencies have been earmarked for them. Now all the political parties in the country want that there should be a delimitation of constituencies to be dec'ded by a Commission. I can give an example. In Thane constituency in Bombay there are 19 lakhs of people and 'in tkkshadweep there are 35,000 voters. So there is a disparity. The delimitation of constituencies according to the voters' popu ation and also changing the Scheduled Caste "constituencies for the purpose of giving "benefit'to"the people from the backward classes, the minorities and the Scheduled Castes from other constituencies should be 'done. Therefore, delimitation has to be done by the present Government. I think , all the political parties will agree with me because it concerns the election process which all of them are feeling very much about.

With these words, I support the Constitution Amendment brought by the hon. Member, Mr. Fernandes. Thank you.

श्री ईश दत्त यादव : महोदया, श्री फर्नांडिस ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है सर्वप्रथम मैं इसका समर्थन करता हूं। यह संशोधन आवश्यक है परन्तु बहुत साधारण है। सरकार के कानून राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, अगर ये आज ही इसे स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छा होगा। इनकी तरफ से यही आश्वासन दिया जाएगा अंत में कि सरकार इस पर विचार करके विधेयक ले आएगी लेकिन महोदया, इस सदन में और लोकसभा में और पूरे देश में इस पर बहुत बार बहस चल चुकी है कि इस देश का जो चुनाव का कानून है, इलेक्शन ला है, यह बहुत दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। इसमें अनेक गलतियां होती हैं और मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कानून डिफैक्टिव होने के कारण चुनाव में बेईमानी होती है, भ्रष्टाचार होता है, फर्जी मतदान होता है, बूथ कैप्चरिंग होती है और पैसे और ताकत के बल पर चुनाव लोग जीत जाते हैं। चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं, चुनाव स्वतंत्र नहीं होते हैं। सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और चुनाव प्रक्रिया में संशोधन के लिए लोक प्रतिनिधित्व में संशोधन करने के लिए सरकार की तरफ से कोई बिल आएगा।

महोदया, मुझे याद है, जब माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी इस सदन के सदस्य थे तो उन्होंने इस विषय को बड़ी गंभीरता से और बहुत विद्धतापूर्ण ढंग से उठाया था लेकिन तब से लेकर आज तक सरकार ने चुनावों के संबंध में, चुनावों की प्रक्रिया के संबंध में कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया। मैं समझता हूं कि सरकार की इच्छा भी नहीं लगती, उनमें इच्छा शक्ति भी नहीं है और विवेक का तो पूर्णतया अभाव है। कानून मंत्री कोई है नहीं ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : कानून मंत्री तो सदन में बैठे हैं।

श्री ईश दत्त यादव : मैं फिर दोहरा रहा हूं। इस देश में कानून मंत्री कोई नहीं है। यह राज्य मंत्री कानून के अभी-अभी पदार्पण किए हैं। यह प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था है, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता। परन्तु अगर वे एक पूर्ण अधिकार संपन्न कैबिनेट का मिनिस्टर बना देते जो इस सबकी गंभीरता में जाता तो अच्छा होता।

महोदया, देश में जितनी शासन प्रणाली हैं, सबके बारे में कहा जाता है कि सभी दोषपूर्ण हैं लेकिन जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, यह प्रणाली सबसे कम दोषपूर्ण है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है लेकिन इस देश में जो चुनावों की पद्धति है, यह पद्धति बहुत ही दोषपूर्ण होने के कारण स्वतंत्र सरकारें और बहुमत की सरकारें इस देश में नहीं बन पाती हैं और मैं समझता हूं कि इसी नीयत से संविधान में संशोधन करने के लिए फर्नांडिस जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

महोदया, आपको स्मरण होगा, कुछ वर्ष पूर्व असम में चुनाव हुए थे, 115 वोट पाने वाले लोग न केवल एम.एल.ए. चुने गए थे बल्कि सरकार में भी थे और अगर आज पूरे देश की स्थिति को देखा जाए तो पूरे देश में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चाहे वह लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र हो, चाहे विधानसभा का हो, वहां केवल 50 या 60 प्रतिशत मत पड़ते हैं और पूरे मतदाता जितने हैं उनके 50 या 60 प्रतिशत मत पड़ते हैं और जो मत पड़ते हैं उन्हीं मतों में जो बहुमत का होता है वह जीतता है और पूरे देश का अगर टोटल किया जाए, योग निकाला जाए, महायोग निकाला जाए तो 50 प्रतिशत से कम मत पाने वाली पार्टी की सरकार हो जाती है चाहे कहीं भी सरकार बने, प्रदेश में बने, देश में बने, केन्द्र में बने। लेकिन अगर मतदाता की दृष्टि से प्रतिशत निकाला जाए तो हमेशा सरकार 50 प्रतिशत से नीचे की वोटों पर बनती है। जब 50 प्रतिशत से नीचे की बनती है तो यह बहुमत की सरकार नहीं कही जा सकती है, कानूनन तो कही जाती है, लेकिन मेरी राय में यह बहुमत की सरकार नहीं है। इसलिए संविधान में संशोधन आवश्यक रूप से होना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि मतदाताओं को प्रशिक्षित किया जाए। हम राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं हमारी कुछ जिम्मेदारी है लेकिन हमसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है कि इस की व्यवस्था करे ताकि निष्पक्ष ढंग से, स्वतंत्र रूप से मतदान तो हो ही प्रत्येक मतदाता की मतदान में रुचि हो और वह अपना नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य समझे कि हमें मतदान करना आवश्यक है, निष्पक्ष ढंग से मतदान करना आवश्यक है।

महोदया, आपको भी व्यक्तिगत अनुभव होगा कि बहुत से लोग मतदान करने नहीं जाते हैं और जब हम मतदान करने नहीं जाते हैं तो अधिकांश फर्जी वोट डाल दिए जाते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यदि किसी मतदान केन्द्र पर 90 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हो जाए तो वहां दोबारा मतदान होना चाहिए। इसके पीछे भावना क्या है? भावना यह है कि 90 प्रतिशत कभी मतदाता मतदान नहीं करते हैं। इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह व्यवस्था है और सरकार भी महसूस करती है कि यहां मतदान होना आवश्यक है। अगर यह संशोधन नहीं होगा तो देश का जो प्रजातंत्र है वह दिन पर दिन कमजोर होता जाएगा। प्रजातंत्र के प्रति लोगों के अंदर न जिज्ञासा रह गई है न आस्था रह गई है। नारायणस्वामी जी जैसे कह रहे थे जो रिजर्व कांस्टीट्यूएन्सी है जो सुरक्षित क्षेत्र हैं, वहां 25-30 पर्सेंट से ऊपर मतदान कभी नहीं हुआ है। यदि टोटल मतदाताओं की राय निकाली जाए तो 10 प्रतिशत का वह प्रतिनिधित्व करता है। अब 10 प्रतिशत वोट पाकर कोई प्रतिनिधित्व करता है जो वह कहां तक सही है?

महोदया, 1974 में डिलिमिटेशन किया गया था, लेकिन उसके बाद आज तक सरकार ने डिलिमिटेशन नहीं कराया। चुनाव आयुक्त जो पहले थे शकधर साहब, मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि रिजर्व कांस्टीट्यूएंसी, जो सुरक्षित क्षेत्र हैं इनको सरकार तत्काल डि-रिजर्व घोषित कर दे और इनके बदले में दूसरी कांस्टीट्यूएंसी या चुनाव क्षेत्र को तलाश कर ले क्योंकि जो क्षेत्र 10 या 20 साल तक रिजर्व रहे हैं वहां के मतदाताओं में प्रजातंत्र के प्रति कोई आस्था नहीं है। जो चुनाव लड़ना चाहते थे उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इसके कारण शकधर साहब ने गिनाए थे और मैं समझता हूं कि जब शकधर साहब निवर्तमान हुए थे अपने पद से उससे कुछ पहले उन्होंने यह कहा था लेकिन सरकार ने अथवा मंत्री ने विचार करने

[श्री ईश दत्त यादव]

के लिए फुरसत नहीं, कानून मंत्री इस सदन में रहेगा नहीं, राज्य मंत्री हमारी बात सुनेंगे नहीं और हमारी बात नहीं सुनेंगे तो अंत में अनुरोध करेंगे फर्नांडीस साहब से कि अपने बिल को वापस ले लीजिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि फर्नांडीस साहब का जो विधेयक है उसको स्वीकार कर लें। मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस देश में बहुत बहस चल चुकी है, इस संसद के अंदर और संसद के बाहर भी बहस चल चुकी है। सब लोग स्वीकार कर चुके हैं कि इस देश की जो चुनाव प्रणाली है वह दोषपूर्ण है और चुनाव प्रणाली के दोषपूर्ण होने से सरकार बनती है और बिगडती है। इसलिए मैं दोहरा रहा हूं और आपसे कर-बद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि इस सत्र में और अगर इस सत्र में सम्भव न हो सके तो माननीय राज्य मंत्री जी जो कानून के हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि साहस करें और अगले सत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करके एक बिल सदन में लाइये। इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

SHRI S. S. SURJEWALA (Haryana) : Madam Chairperson, the proposal for amendment to the Constitution items out of the concern that there is a growing feeling in recent years that every voter obliges a contesting candidate or a political party and does not treat it as a part of his duty to strengthen the democratic process of the country. The feeling or the spirit behind this amendment -'s unquestionably very, very good and I think all sections of the House are supporting this. Many of the points which I wanted to raise have, in fact, been raised by other Members and I would not like to repeat them. I would like to point out one issue. After all, who is responsible for generating this feeling in the minds and hearts of the voters that they are obliging a candidate or they are obliging a party and not discharging their duty ? It is we, the pol't'cal parties of this country, the political leaders, the people and the candidates who have generated these feelings in the hearts of the voters. At the time of every election all the political part'es make tall promises, not for a common good, to develop certain areas or certain parte of the country and initiate certain programmes and we offer so many inducements to the voters. I need not elaborate them. A few years back there was a political leader of a political party in some region of the country who offered to the people that all the loans they had taken would be written off if they voted for his political party. If such inducements, bribes are offered publicity through a programme of a political party, then what are the voters going to think? Similarly, when the individual candidates or voters go from house to house, meet and address people in groups, what will happen ? In fact, people also come with individual *sifarish.* Many people ask, "If you are elected, will you get my son or some other family member employed ? Will you do this or that ?" You know, even in Delhi and many other towns a large number of illegally constructed localities are sanctioned overnight because the political parties or the candidates have to gather votes. Similarly, a large number of instances of all kinds of corrupt parotices can be given. The point is that there is no substitute for an ideology, there is no substitute for a political programme. There is a lack of ideological commitment, ideological content in the minds of political parties or the political leaders. There is a lack of commitment to the nation, commitment to the people as a whole. On the other hand, politics has become a profession. We think that it is a very lucrative throng to be in politics because we can, by all means, do so much without investing a penny; we can do so much without having any qualification. So, this is something very unfortunate and In *in toto* agree with what my friends.whd has just concluded, has said. Mr. Narayana-samy has given very good reasons by telling us that one-third of the electorate of this country is not participating in the Assembly or the Parliament eletions. This is the state of affair. So, I wound like to say that the political parties should do an intros-pectiion. Where are we leading our oountry, our people for our very selfish and narrow interests ? Why are we feeding our people on falsehoods, false promises and individual promises ? And at what cost ? At the cost of the total development of the country. We have wrecked the political system in the country through these processes. Therefore, I would like to make a suggestion as to what should be done.

I think a lot of tostaqDes have been cited here. You also know them, Madam. You are well versed in Haryana Politics. Meham is such an infamous name in connection with elections. How the election was thwarted there, how the electoral process was put to naught there and all kinds of malpractices were indulged in there, not once but more than once. Therefore, to avoid all kinds of bribery and to avoid the present exploitation of castes and religions and all other sorts of malpractices what we have to do is to replace the present geographical constituency system by a system known as the *'List* System'. All of you know very well that in the list Sytem there are no definite geographical constituencies like in this country: In such a system of Parliament there will not be North Bombay, South Bombay, lalandhar, Amritear or Lucknow constituencies. The Indian Parliament or the country will be a 540 multi-Member constitsueacy. When the general elections come the political parties will file a list containing the names of their candidates. The list of the number of candidates they want to put up will be filed before the Electoral Officer or the Chief Election Commissioner or anybody who may be appointed for that purpose. The votes will be oast throughout the country through polling booths on party symbols. Ultimately the total number of votes which are given to a party or cast in favour of a party will determine the number of candidates of that party who are in the list, say, from serial Nos. 1 to 100 or 200 or 300 or 500 or 540, whatever may be the number of the candidates of the party, and they will be declared elected. In this process candidates are not going to take recourse to casteism, religion, bribery, booth-captor-ing, offering false promises, etc. I think we can ward off most of the present evils by adopting this system. Thank you very much.

श्री राम रतन राम (उत्तर प्रदेश) : महोदया, हमारे मित्र फर्नांडीज साहब ने जो संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है वह स्वागत योग्य है और मैं उसका स्वागत करता हूं । हमारे यहां एक मत की प्रणाली है, एक वोट, एक मत और उसके आधार पर हमारे सारे चुनाव सम्पन्न होते हैं । आजादी के पहले यह अधिकार हमारे सभी नागरिकों को नहीं था । पर्शियल रिप्रजेन्टेशन था । कभी सम्पत्ति के नाम पर या कभी स्टेटस के नाम पर लोगों को वोटर बनाया जाता था । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान के लागू होने पर हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ । जिस समय इस पर कॉन्स्टिट्यूएन्ट असेंबली में चर्चा हो रही थी, उस समय भी लोगों के मन में तरह तरह की शंकायें थी कि क्या एक अनपढ़ और एक पढ़े-लिखे आदमी को एक तराजू पर रखा जा सकता है । लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने और खासकर डा. अम्बेडकर ने इस बात को जोर देकर कहा कि एक वोटर और एक मत यह अवश्य प्राप्त होना चाहिये, जिसको एडल्ट फ्रंचाइज हम कहते हैं । यह बड़ी अच्छी बात है और यह हमारे संविधान और हमारे नागरिकों की अमूल्य निधि है जिसमें सर्वोच्च सत्ता पर, सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ नागरिक और उसके मातहत निम्न सरकारी कर्मचारी भी, वोट देने के मामले में वे दोनों बराबर हैं, और इसमें किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं है । यह हमारी अमूल्य निधि है और इसको जारी रखना चाहिए । इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

हमारे मित्र फर्नांडीज साहब ने यह प्रस्ताव किया है कि हमारे हर एक नागरिक को जो वोट देने का राइट है उसके वोट देने के लिये बाध्य किया जाये । मान्यवर, इसमें विसंगतियां हैं । हम यदि इसे कम्पलसरी करते हैं कि सब को वोट देना जरूरी है तो वोटर्स कई तरह की श्रेणियों के होते हैं । 18 साल से ऊपर का व्यक्ति मतदाता हो जाता है और 80–90 साल का व्यक्ति चाहे वह अपाहिज हो, लूला हो, लंगड़ा हो वह वोट देने का अधिकारी हो जाता है । ऐसे लोगों को यदि वोट देने के लिये बाध्य किया जाये तो इसका क्या हश्र होगा इस पर विचार करने की जरूरत है । दूसरी बात यह है कि जब वोट का समय आता है तो कुछ लोग बाहर चले जाते हैं या कुछ लोग किसी मजबूरीवश वोट देने में सक्षम नहीं होते । मुझे फैजाबाद का एक किस्सा अच्छी तरह से याद है । वहां पर एक गरीब घर में मौत हो गयी थी। उसके घर के लोग रो रहे थे । लेकिन वहां का कान्टेस्टिंग कंडीडेट जो कि उम्मीदवार

टाइप का था। अत्याचारी था, उसके लोग वहां पर डंडा पटकर कहने लगे कि पहले वोट दो फिर आकर रोना। उनको वहां ले जाया गया, मतदान स्थल पर, और उनको वोट दिलवाया गया और फिर वे रोते हुए घर घर गये और फिर उसका क्रियाकर्म किया। अगर कम्पलसरी मतदान का तरीका यह होगा तो इसका हश्र क्या होगा, इस पर भी गौर करने की जरूरत है।

दूसरा जब कम्पलसरी मतदान करने की बात आती है तो जो उम्मीदवार मत प्राप्त करता है उसको भी यह तय करना होगा कि न्यूनतम कितने वोट प्राप्त करके वह विजयी घोषित हो अन्यथा यह बेमानी हो जायेगा और कम्पलसरी वोट देने का मकसद डिफीट हो जायेगा।

जहां तक बूथ कैपचरिंग या इलेक्शन में अनियमितताओं, बुराइयों की बात है, यह कानून के माध्यम से नहीं है बल्कि कुछ लोग अपने बाहुबल के जरिये और कुछ लोग अपने दिमाग के जरिये ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कि जो जेनुइन वोटर्स हैं वे रह जाते हैं और उनके नाम पर फर्जी मतदान हो जाता है। यह चीज काफी जोरों से फैली हुई है। इसको रोकना बहुत आवश्यक है। अन्यथा सही वोटर्स अपने वोट के अधिकार से वंचित रह जायेंगे। इसलिए ये जो बुराइयां फैली हुई हैं इनको कानून के माध्यम से दूर कीजिए।

एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सारी बुराइयों की जड़ फर्जी मतदान है। इसको लिये आवश्यक है कि सारे जितने भी वोटर्स हैं सब के पास उनके फोटो जरूर रहने चाहिए, उनके पास आइडेन्टी कार्ड, पहचान-पत्र रहना चाहिए। इससे फर्जी मतदान करने से रोका जा सकता है, यही इसका इलाज है और इसी से हम इसको सही ढंग दे सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

4.00 P.M.

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : मेडम, जार्ज एफ. फर्नांडीज जी जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव लाए हैं, उनकी मंशा एक अच्छी मंशा है। वे संविधान के अनुच्छेद 51 क के अन्दर संशोधन प्रस्ताव लाए हैं। देश की आजादी के समय इस देश के महापुरुषों ने यह सोचा कि देश के अन्दर देश की शासन प्रणाली लोकतंत्र के माध्यम से चलाई जाए। इस देश का शासन और विकास लोकतंत्र के माध्यम से हो। जो लोग लोकतंत्र कायम करना चाहते थे उनकी मंशा यह थी कि इस देश के हर नागरिक को मत देने का अधिकार मिले और वह स्वतंत्र हो कर के अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सके। लेकिन वर्तमान चुनाव प्रणाली जो हमारे देश के अन्दर लागू है या तो इसके अन्दर दोष है या हमारे राजनीतिक दलों के अन्दर दोष है या कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व हैं जो इस लोकतंत्र के माध्यम से ऐसी संस्थाओं में चुन कर आने लग गये हैं उनका दोष है। यह सारी चुनाव प्रणाली हमें दोषपूर्ण महसूस होती है। हमारे देश के महापुरुषों की यह भावना थी कि हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जैसे संसद है, राज्यों की विधान सभाएं हैं और जो स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हैं, इनमें जितने भी लोग चुन कर आएं उनकी यह भावना हो कि हम देश की सेवा करें। लेकिन 50 प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो देश की सेवा की भावना से आते हैं। आज इस चुनाव प्रणाली ने यह भावना पैदा की है कि लोग धंधे की वजह से राजनीति में आते हैं। देश में चुनाव इतना खर्चीला हो गया है। हम यह देखते हैं कि चुनाव के अन्दर लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतना पैसा कहां से आता है? कौन लोग इतना पैसा खर्च करते हैं? ऐसे लोग हैं जो गुंडागर्दी के बल पर, लाठी के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। बूथ कैप्चरिंग करना चाहते हैं। कुछ लोग धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। देश के संविधान के अन्दर मत का अधिकार दिया गया है लेकिन प्रलोभन देने की बात कहीं नहीं कही गई है। हमारी चुनाव प्रणाली के अन्दर धर्म और जाति वर्ग के आधार पर वोट ले कर कुछ लोग इस देश की चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जार्ज फर्नांडिस साहब जिस भावना से इस प्रस्ताव को लाए हैं आप इस पर आधारित एक बड़ा

संशोधन लाएं और सारी चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधार करें जिससे इस देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके। दुनिया की निगाह हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर है। हमारा इतना विशाल देश है। हमें संविधान के तहत मत देने का अधिकार मिला हुआ है लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो लोगों को इस अधिकार का प्रयोग नहीं करने देते हैं। आपको चुनाव के अन्दर ऐसी ऐसी घटनाएं मिलेंगी कि एक ही आदमी बूथ पर बैठ जाता है, 10 आदमी उसके साथ होते हैं और वही सारे बूथ के वोट डाल देते हैं। शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स तथा गरीबों को लाठी वाले लोग वोट नहीं डालने देते हैं।

कैसी है यह चुनाव प्रणाली जिसमें कि इस देश के नागरिक को जो अधिकार दिया हुआ है उसका पालन नहीं हो सकता। और तो और मंत्री जी, अबकी बार के चुनाव की तो कहानी अलग है। राजस्थान का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि तीन लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं, उपसभाध्यक्ष महोदया, जिनके अंदर जितने वोट पड़े उससे काउंटिंग के अंदर 40-50 हजार वोट ज्यादा निकले थे। जयपुर का उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि जयपुर के अंदर वोट जो गिरे थे वे बताये गये थे 5,54,679 और रिजल्ट जब घोषित किया तो काउंटिंग हुई थी 5,92,349 वोटों की। प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव की घोषणा कर दी। अब कोर्ट के अन्दर चक्कर लगायें वे प्रत्याशी जो खड़े हुए थे। कोर्ट के अन्दर पांच साल तक इसका निर्णय नहीं होने वाला है। कैसा चुनाव है? कैसी प्रक्रिया है चुनाव की? मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें। एक तो जिसके खिलाफ चुनाव याचिका हो उसका फैसला साल भर के अन्दर हो, निश्चित ही हो जिससे जो गड़बड़ करने वाला कैंडीडेट है उसको महसूस हो।

1989 के लोक सभा चुनाव का ही, राजस्थान का उदाहरण देना चाहता हूं। सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अन्दर एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का था जिसने 41 बूथ कैप्चर किए, अकेले ने। सुबह 6 बजे से बूथ कैप्चर करने लगा और रात के आठ बजे तक बूथ कैप्चर करता रहा और जिसके खिलाफ 41 जगह एफ. आई. आर. दर्ज हुई लेकिन वह तो चुनाव जीत गया। उसके बाद उन एफ. आई. आर. का पता नहीं क्या हुआ। आज जब हम चुनाव प्रणाली के अंदर इस बात को लेते हैं और मैं इसके लिए मुख्य दोषी राजनैतिक दलों को मानता हूं। आज इस देश का माहौल वोट की खातिर ही तो खराब हो रहा है। है क्या राम मन्दिर, क्या है मंडल। सब वोट की खातिर है। वोट का प्रलोभन ही आज देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसी दोषपूर्ण प्रणाली के खिलाफ संशोधन करिए आप। इसमें संशोधन करिये, सुधार करिये। जिससे इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम रह सके, देश अखंड रह सके।

राजस्थान का एक और उदाहरण देना चाहता हूं जबकि लोगों को वोट का अधिकार मिला हुआ है। सरकार और कोई व्यक्ति कौन होता है जो उनके अधिकार को रोक सके। लेकिन राजस्थान का तो दुर्भाग्य है उपसभाध्यक्ष महोदया, कि ग्राम पंचायतों को भंग किया गया। दो साल हो गये हैं लेकिन आज तक वहां पर ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं बल्कि गांव का जो कार्य सरपंच और पंचायतों के माध्यम से हो रहा है वह प्रशासनिक कर्मचारी कर रहे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपकी जो भी संस्थाएं हैं चाहे लोकसभा है, चाहे आपकी विधान सभाएं हैं, स्थानीय ग्राम पंचायतें और नगरपालिकाएं हैं इनके चुनाव निश्चित समय पर होने चाहिएं। यह आपको तय करना पड़ेगा।

आज जब हम चुनाव के अंदर जाते हैं तो कई लोगों में इस प्रकार की नाराजगी मिलती है कि इस क्षेत्र में एक ही जाति या वर्ग विशेष का आदमी चुनाव लड़ता है और वही चुनाव जीतता है। इसलिए आज आवश्यकता है परिसीमन की। परिसीमन भी आप करें तो इस प्रकार करें कि जो कांस्टीटुएंसीज रिजर्व रही हैं पहले से या जो कांस्टीटुएंसीज जनरल रही हैं पहले से और कमजोर वर्ग के लोगों को उसमें कभी चुनाव लड़ने का मौका, जीतने का मौका नहीं मिला तो उनका परिवर्तन जरूर करें आप। जहां कोई

[श्री राम रतन राम]

शिड्यूल्ड कास्ट की कांस्टीट्एंसी रही है और जनरल की रही है तो शिड्यूल्ड ट्राइब की कांस्टीट्एंसी बने और शिड्यूल्ड ट्राइब की कांस्टीट्एंसी रही है या जनरल की रही है तो वहां शिड्यूल्ड कास्ट की बने और चुनाव लड़ने का तब तो वह महसूस करेंगे रही है वह जनरल कांस्टीट्एंसी बने तब तो लोगों को यह महसूस होगा कि हमें जो अधिकार मिला है चुनाव में मत देने का और चुनाव लड़ने का तो वह महसूस करेंगे कि हमको अधिकार मिला है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं।

साथ ही आज बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, तो चुनाव प्रक्रिया का जो हश्र हुआ है, वहां पर यह कहते हैं, सुनने में यह आता है कि आज चुनाव के लिए गुंडों को खरीदा जाता है, गुंडों को तय किया जाता है कि इतने वोट तुम फर्जी डाल दोगे। इसके लिए पैसा दिया जाता है।

आज विधान सभा, लोक सभा के अंदर ज्यादातर *तत्व के लोग चुन कर के आने लगे गये हैं। भले आदमी तो चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मीणा जी, * की जगह सामाजिक शब्द प्रयोग करें। यह असंसदीय शब्द है।

श्री मूलचन्द मीणा : ऐसे असामाजिक तत्वों के सामने तो भला आदमी, सज्जन आदमी चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं करता है कि लोगों के वोट तो पड़ते नहीं हैं, लोग वोट डालते नहीं और भले आदमियों की तो, आने वाले चुनावों के अंदर अगर यह प्रक्रिया चलती रही, तो चुनाव लड़ने के लिए भला आदमी कभी तैयार नहीं होगा।

श्री जान एफ. फर्नांडिस जी की भावना से मैं अपने आपको जोड़ता हुआ, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप एक संशोधन लायें और सम्पूर्ण जो चुनाव प्रक्रिया है, उसके अंदर सुधार करें।

जय हिन्द।

*Expunged as ordered by the Chair.

♦SHRIMATI MIRA DAS (Orissa) : Madam Vice-Chairman, I rise to support the Constitution (Amendment) Bill, 1990 (to amend Article 51 A) brought forward by my esteemed colleague Shri John. Fernandes in the august House. At the outset I would like to express my concern about the disinterestedness of the members in the business of this House. Had the proceedings of the House not been telecast the attendance in this House during this debate would have been still thinner. The Hon'ble Minister is present in the House, because he is bound to be here to reply to the debate.

Madam, if this is the attitude of the people's representatives towards Parliament, then how could we compel the voters to exercise their franchise. It is, of course very easy to make voting compulsory for the citizens of the country through a legislation. But I have grave doubts about its practicability and implementation. It is very unfortunate that we are misusing democracy for our personal benefits and also for the benefit of the political parties. I have serious doubts about the acceptability of the Act, which is proposed' through this Constitution amendment bill.

Madam, I don't know how many of us have worked at the village level but. I have worked in the rural area and. I know the ground reality there. Many of my colleagues have directly made it to Parliament. They do not have any personal experience of the problems of the rural areas. I express this with regret that we have only cheated the people in the name of democracy. We have done absolutely nothing for strengthening democracy in our country. We have deprived of the genuine voters their right to cast their votes honestly. The arrangements for election are made in the meetings held in the collecto-rate.

Madam Vice-Chairman, you know how we politicians are reponsible for manipulating the inconvenient placement of polling booths in these meetings for a particular village, because we know voters of that village do not support our party. Unfortunately the practice of interfering in

*English translation of the original speech made in Oriya.

the voter's list is also not new. The Party which remained in power for such a long period is responsible for perpetuating these types of eleotorol malpractices in the country. The party which is in power for more than forty years could, hardly manage 35% of the total votes. The problem of "Mandir" and "Mandal" are recent, but the election malpractices are quite old. I blame only one political party for this situation, which is prevailing today.

I am to say that the Constitution amendment bill of my colleague Shri Fernandes, though a delayed step is most welcome one. It is always better late than never. Exercising our voting right honestly and fearlessly is one of the holy democratic duties of the citizens. I strongly deplore the recent trend of fighting elections on communal, religious and casteist lines. This leads to disharmony and animosity among the people of different communities. The honourable Minister of Law is present here. I am sure no Law Minister can bind the voting right of the people by an Act of Parliament.

Madam, one more unfortunate aspect of our democracy is that many literate people feel shy to exercise their voting right. The I.A.S. Officers, their wives and children feel it below their dignity to wait in a queue at the polling booth. In most cases the semi-literate and illiterate people are allured by money to cast votes. We politicians have neither time nor intention of telling the people the value of democracy. In many cases the voters are not aware of the names of the candidates fighting elections. They only know the election symbol of a particular party. This trend is realy unfortunate. This is no democracy. This is a mockery of democracy. I don't blame any party or any individual. I blame the system which is responsible for this situation today. Slowly but steadily we are losing faith is Parliamentary form of democracy. In this context the present bill is no doubt laudable. If this bill is made an Act, I am sure the future generation will reap the benefit of a vibrant democracy. This bill proposes to make the involvement, of the people in our democracy compulsory. The framers of our Constitution had high hopes and aspirations about the success of our democracy.

Before concluding I would like to remind my friend Mr. Meena, who referred to the exptefflvesituation in U.P. Why should he selectively choose U.P. for the purpose of condemning a state government, which, is run by B.J.P. I want to remind him of the situation in Andhra Pradesh. There are areas in Andhra Pradesh where there is complete chaos and anarchy. The law and order situation in some places of the State are very bad. We should point out the mistakes of the state government irrespective of the political party which is in the helm of affairs.

1 once again support the bill brought forward by my friend Shri John. F. Fernandes.

Thanking you.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारे मित्र श्री जान फर्नांडिस जो यह विधेयक लाए हैं, उसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदया, यह जो हमारे संविधान का अनुच्छेद-51 (ए) है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डा. बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में कानून बने हैं जिसके कि अध्यक्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू थे, उन्होंने इलेक्शन के बारे में और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो कानून बनाए हैं, अब जैसे-जैसे समय गुजरता जाता है वैसे-वैसे उसके विचार बदलते जाते हैं ; तो उस वक्त जब संविधान बना तब हमारे देश के सामने आंदोलन से आए हुए, महात्मा गांधी के विचारों से पले हुए सारे नेतागण थे और वहां बेईमानी का सवाल ही नहीं पैदा होता था ।

मगर जैसे-जैसे राष्ट्र का जीवन बढ़ता गया, कुटिल और जटिल समस्याएं हमारे सामने आती गई तो वैसे-वैसे ही राष्ट्र का जीवन ज्यादा से ज्यादा विनाश की तरफ बढ़ता गया । मैं इसके लिए किसी एक पार्टी को दोषी नहीं मानता । हमारी यह राजकीय प्रक्रिया, या सियासत की बातें ही कुछ ऐसी हैं कि जो आदमी को अच्छाई से बुराई की तरफ ले जाती हैं । मुझे मालूम है क्योंकि मैं कई प्रान्तों में गया हूं, विशेषतया बिहार में मैं निरीक्षक के रूप में गया था और देखा, वहां हरेक राजनीतिक पार्टी जो पैसा खर्च करती थी वह अस्त्र-शस्त्र के खरीदने पर खर्च करती थी। जब यह

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

शस्त्र क्यों चाहिएं ? बूथ-कैप्चरिंग के लिए शस्त्र चाहिएं । जिसके पास ज्यादा शस्त्र हैं, जिसके पास शस्त्र चलाने वाला मानव-बल ज्यादा है वही चुनकर आ सकता है, आज ऐसी भावना है । तो इस प्रक्रिया को हमें बदलना है ।

उपसभाध्यक्ष महोदया, यहां तक जनतांत्रिक राज-पद्धति का सवाल है, उसका बुनियादी ढांचा है चुनाव । इस चुनाव प्रक्रिया से जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वह जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता के लिए कानून बनाते हैं, उनके लिए काम करते हैं । मगर, आज चुनाव प्रक्रिया का पतन इतना तेजी से हुआ है कि पैसा, गुण्डागर्दी और बहुत सी बुरी बातें चुनाव में आने लगी हैं । इससे जो सही आदमी है, जो सही सोचने वाला आदमी है वह पीछे रह गया है । बहुत से ऐसे एलीमेंट्स, बहुत से ऐसे लोग आगे आए, जिनसे हमारे देश को कुछ फायदा होने के बजाय ज्यादा हानि हुई ।

महोदया, यहां मेरे मित्र भारद्वाज साहब बैठे हैं । यह कानून के पण्डित हैं और विचारों से सुश्रेष्ठ हैं । हम दोनों साथ आए हैं राज्य सभा में । वह जानते हैं कि इस समाज में क्या-क्या बुराइयां हैं। हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू हुए, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इन्दिरा गांधी और यहां तक मोरारजी देसाई तक के कार्यकाल में हमारे देश की ऐसी हालत थी कि ये सारे नेतागण स्वतंत्रता आंदोलन से आए थे और देश के प्रति उनका इतना योगदान था कि देश और यह नेतागण एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे । मगर, जैसे-जैसे समय बदलता गया, एक नयी पीढ़ी आने लगी राजनीति में और उस नई पीढ़ी के आने के बाद नए सिद्धांत राजनीति में आने लगे । आज यह बहुत जरूरी हो चुका है कि अगर इस डेमोक्रेसी को, इस जम्हूरियत को मजबूत बनाना है तो हमको खुद हमारी चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव करना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरे मित्र जार्ज फर्नांडिस ने यह बिल तो छोटा सा लाया है, मगर एक महत्वपूर्ण विचार इस सदन के सामने रखा है कि अगर इस देश को जीना है, अगर इस देश को सम्मान के साथ जीना है तो हमारे देश की जो जम्हूरियत है, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको हमें मजबूत बनाना है । अगर हमारी जम्हूरियत को मजबूत बनाना है तो उसके बारे में जो भी कमियां हैं इस चुनाव प्रणाली में या जो हमारा सिस्टम है उसमें, तो उसमें चेन्ज करना है, उसको बदलना है, उसको समाप्त करना है । इस दृष्टि से इस बिल का बहुत महत्व है ।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, महाराष्ट्र से, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है मेरा और मैं एक तालुके का रहने वाला, मुखेड उसका नाम है, यह तालुका सन् 1952 से 1992 तक रिजर्व कांस्टीट्यूएन्सी है और आज तक वह बदला नहीं है । हमारे लोगों ने काफी दफे आवाज उठाई कि भाई, यह चालीस साल से रिजर्व कांस्टीट्यून्सी है मुखेड, इसको बदला जाए । जो ऊपर के नेता हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर इसको उठाया गया तो कोई बहुत तेज नेता हमारे में से आगे आएंगे और उनकी लीडरशिप को चेलेन्ज करेंगे । यह उनके दिल और दिमाग का डर है । जिस इन्सान के मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है वह किसी से डरता नहीं है, मगर ऐसे भी कुछ बुजदिल लोग राजनीति में आगे आते हैं कि हमेशा लोगों की भावनाओं को दबाते चले आते हैं ।

बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, उपसभाध्यक्ष महोदया, बहुत सी कांस्टीट्यून्सी हैं, चाहे विधानसभा की है या लोकसभा की है, आजादी से लेकर आज तक वह रिजर्व है । वहां के लोगों को काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है । वहां की समस्याएं वैसी पिछड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे पिछड़े हुए सदस्य आते हैं और उन पिछड़े हुए सदस्यों को डिक्टेट करने वाला ऊपर बैठा हुआ बास कोई अलग होता है जो कहता है कि अरे भाई, वहां वोट देकर आओ और वह वोट देकर आता है । मैं तो ग्राम से आता हूं, कितने ऐसी ग्राम पंचायत मैं आपको दिखाऊं कि ग्राम पंचायत का सरपंच एक अपनी जिंदगी में वही

सरपंच रहता है। वह कभी हटता नहीं या कोई उसको हटा ही नहीं सकता, यह जो प्रक्रिया है, इसको बदलना है। इसलिए मेरा यह सुझाव है मान्यवर मंत्री जी को कि कोई भी सरपंच हो या जिला परिषद का अध्यक्ष हो या स्टेट का मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, देश का प्रधान मंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वह दो टर्म से ज्यादा उस पद पर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग जिंदगी भर एक ही पद पर बैठे रहते हैं और दूसरे लोग जिंदगी भर उनकी जय-जयकार करते रहते हैं। यह सिस्टम हमको बदलना है। अगर हम यह चेंज अपनी चुनाव प्रक्रिया में और अपने लोक प्रतिनिधित्व में ला सकें तो मैं समझता हूं कि हमारा आधे से ज्यादा श्रम सफल हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, हम जानते हैं कि हमारे यहां 25–30 पार्टियां हैं। अगर आप लोक सभा या राज्य सभा की किताब निकाल कर देखें तो 15–20 पार्टियां तो ऐसी हैं कि जिसका एक मेम्बर है, किसी के दो मेम्बर किसी के चार मेम्बर हैं, दुनिया के किसी भी राष्ट्र में इतनी पार्टियां नहीं हैं। तो इसके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। मैं भारद्वाज साहब से अनुरोध करता हूं कि जितनी वोटिंग होती है उसका 25 या 30 प्रतिशत तक वोटिंग जिस पार्टी को मिलता है, उस पार्टी को आप रिकग्नाइज कीजिए और बाकी पार्टीज को डीरिकग्नाइज कीजिए। इसके बारे में कोई कांस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है नहीं तो यह जो है मशरूम ग्रोथ, भूछत्र की तरह यह निकलती रहती है पार्टियां। बेलगाम में एक चुनाव हुआ था, आप जानती होंगी उपसभाध्यक्ष महोदय, कि वहां 262 कैन्डीडेट खड़े थे। 262 candidates contested the elections in Belgaum constituency. ... बड़ी थी कि वोट देने वालों को सोचना पड़ता था कि मेरा कैन्डीडेट कहां है, किसको मैं वोट दूं। तो यह तो माकरी आफ दि डेमोक्रेसी है, हमें इसको स्टे देना है।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो इंडीपेंडेन्ट कैन्डीडेट खड़े रहते हैं इसको पूरी तरह से बैन करना चाहिए। दो, तीन, चार, जो भी पोलिटिकल पार्टियां हों, उनको रिकग्नाइज करना चाहिए on the basis of percentage of voting. और हमारे देश में अगर बहुत ही निरोगी और हेल्थी डेमोक्रेसी लाना है तो मैं यह कदम जल्दी से जल्दी उठाने की जरूरत समझता हूं।

इसके बाद यह जो हमारी पब्लिसिटी है, जैसे कि नारायणसामी ने कहा और अन्य सदस्यों ने भी कहा कि एक लोक सभा का सदस्य 3,500 रुपए में चुनाव कैसे लड़ सकता है? असंभव है। 500 रुपए तो डिपाजिट हो है, बाकी 3,000 में कैसे लड़ सकता है। रोज एक जीप को मेन्टेन करने के लिए ही 3,000 रुपए खर्चा आता है। जैसे डेढ़ लाख भी कम होता है सरकारी नियम के अनुसार, वैसे ही 3,000 भी फर्जी है और डेढ़ लाख भी फर्जी है। तो यह सिस्टम बदलना बहुत जरूरी है। जैसे कि अमेरिका में और अन्य देशों में चुनाव होते हैं, बैनर्स नहीं लगते, कोई पोस्टर्स नहीं लगते, मीडिया पे चुनाव होते हैं, विचारों पे चुनाव होते हैं। जब पार्टीज को हमारे देश में चुनाव के लिए आगे आना चाहिए तो अपना प्रोग्राम जनता के सामने रखना चाहिए, कोई कैन्डीडेट सामने नहीं आना चाहिए। पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव जीतने के बाद उसे कैन्डीडेट का नाम देना चाहिए तो उस चुनाव प्रक्रिया में लोगों को इंटरेस्ट कम हो जाएगा और यही एक रास्ता है आगे पहुंचने का। तो मैं आपके माध्यम से मेरे मित्र से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचने का समय आ चुका है। आप देख रहे होंगे, रोज न्यूज पढ़ते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में दो एम. एल. ए. के बारे में "टाडा" को एडाप्ट किया है। ये लोग कैसे घुस जाते हैं? क्योंकि जिसके सब कुछ हाथ में रहता है, गुण्डागर्दी होती है, सब होता है, वही चुनाव जीत सकता है ... (व्यवधान) ... गुण्डा नहीं कहा है, मैंने गुण्डागर्दी कहा है, यह अनपार्लियामेंटरी नहीं है। तो गुण्डागर्दी करते हैं और सारी पावर हाथ में रखते हैं, चुनाव जीतने की ताकत उसी में होती है क्योंकि उसके खिलाफ वोट देने वाला पोलिंग बूथ तक जा ही नहीं सकता है। तो वहां अगर पार्टी के बेसिस पर चुनाव होता और अच्छे लोगों को हम वहां नामिनेट करते तो यह नतीजा नहीं आता। आप जानती हैं कि गुजरात से लेकर नीचे तक—गुजरात,

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र, उसके बाद केरल, पांडिचेरी, यहां चुनाव के बारे में धांधलियां कभी सुनाई नहीं देती क्योंकि यहां चुनाव के बारे में पूरी डेमोक्रेसी है। अभी आन्ध्र में जो मैडम कह रही थीं कि नेक्सलाइट मूवमेन्ट चल रहा है उसके बाद कुछ तनाव जरूर आया है, मगर हमारी चुनाव प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराष्ट्र में भी कभी बूथ केप्चरिंग की बातें नहीं होतीं क्योंकि वह जो डेमोक्रेसी है, हमारी ग्राम पंचायत से लेकर आगे तक जो हमारा ढांचा तैयार हुआ है, उसमें ज्यादा धांधलियां नहीं होती हैं। धांधलियां जरूर होती हैं, मगर बहुत कम धांधलियां होती हैं। यह ऐसी धांधलियां होती हैं कि जैसे अगर अन-वान्टेड आदमी है तो 25-30 साल तक रिजर्व कर दिया और उसको वहीं मार दिया। यह सारी बातें होती हैं। मगर जहां तक चुनाव की बात होती है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। फिर भी उत्तर भारत में जो बूथ केपचरिंग और यह सारी बातें होती हैं। तो जो यह बीमारी है, वह बीमारी का स्प्रेड, यह लागत हमारी तरफ नहीं होगा, यह कह नहीं सकते। अगर इसको समय पर समाप्त करना है तो यह बहुत जरूरी है, इसके बारे में गंभीरता से सोचें।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात और आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी जीवित थी तब इस देश के अंदर एक बहस चली थी। हमारे महाराष्ट्र के एक नेता—भूतपूर्व मंत्री बसंत साठे साहब ने एक बहस चलाई थी whether India wants Presidential form of Government or Prime Ministerial form of democracy.

उसके बारे में नेशनल बहस होने की जरूरत है। मैडम ने भी कहा था कि अगर भारत की सारी जनता सोचे तो उसके बारे में हम जरूर कुछ फैसला कर सकते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, अब वह समय आ चुका है। अगर प्रेजीडेंसियल फार्म आफ डेमोक्रेसी, जैसे अमेरिका में कोई भी पावरफुल प्रेजीडेंट यह सोचने लगा—रूजवेल्ट से लेकर आइजनहोवर, जान कैनेडी, जान्सन, उसके बाद निक्सन, जिमी कार्टर, रेगन और बुश, कि उन्होंने एक इराक को बरबाद कर दिया, तो फिर भी अमेरिका के लोगों ने उसको हटा दिया, उसको गिरा दिया।

श्री वी. नारायणसामी : आज क्लिंटन आ रहा है।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : हां, आज क्लिंटन आ रहा है। तो यह जो डेमोक्रेसी मजबूत बनी है उसका मतलब यह है कि वहां कोई भी प्रेजीडेंट दो टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता। अगर उसने कितनी भी बहादुरी की, कितने भी राष्ट्रों को मारा, बम्बार्डिंग किया, तो यह जरूरी नहीं है कि वहां के लोगों को उसकी बातें पसंद आएं। अमेरिका के लोगों ने यह दिखा दिया है कि इराक पर जब उन्होंने हमला किया, तो वह बात सच थी या झूठ थी, यह बात नहीं है। मगर जार्ज बुश को जिस तरीके से लोगों ने वहां धूल चटाई है उससे यह लगता है कि यही एक डेमोक्रेसी मजबूत है कि यहां कोई भी अन्याय से जी नहीं सकता और वैसी ही बात अगर करनी है तो मैं भी सोचता हूं कि अगर प्रेजीडेंशियल फार्म आफ डेमोक्रेसी हमारे यहां हो गई और कोई भी नेता हो या कोई भी पार्टी हो . . . (व्यवधान)

चौधरी हरि सिंह : प्रेजीडेंट को मनी बहुत चाहिए। मनी वाला जीतेगा।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मनी क्यों ?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आपस में बात नहीं, चौधरी साहब, आप बोल चुके हैं अपनी बात।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मनी की बात है नहीं, यह तो पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैंने तो पहले ही कहा, आपने सुना नहीं पूरी तरह से।

SHRI V. NARAYANASAMY: He is referring to muscle power, money power.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : नहीं, वहां तो पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहां आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा और उसमें कोई खर्चा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध करना चाहिए। इसके बारे में एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए। सारे देश के विद्वानों के, किसानों के कामगारों के, कारखानेदारों के,

सारे के वोट अजमाकर इसके बारे में फैसला करना मैं बहुत जरूरी समझता हूं । उसके बाद मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर जो नया संशोधन लाएंगे उसमें पहली बात तो यह बनानी चाहिए—

under any circumstances no Prime Minister or President should remain in power for more than 2 terms or for more than a period of 10 years.

इसके बारे में कुछ करना जरूरी समझता हूं और अभी कोई 10 साल रहने वाला भी नहीं है और आगे चलकर । उसके बाद यह बात तो सिर्फ प्रेजीडेंट और प्राईम मिनिस्टर की नहीं है । कोई भी चीफ मिनिस्टर हो । कोई-कोई चीफ मिनिस्टर 15-15, 20-20 साल बैठे रहे हैं अपनी सत्ता पर । वह भी दस साल से ज्यादा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए । कोई मंत्री भी 10 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए ।

एक सम्मानित सदस्य : एम. पी. ?

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : The same formula should apply to M.Ps also.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप विषय का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं ।...(व्यवधान)

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : एम. पीज. और एम. एल एज. की जो बात है वह आफिस के बेनिफिशरीज नहीं होती । उसके लिए वह कानून एडोप्ट नहीं करना चाहिए ।...(व्यवधान) मैं कानून बनाने वाला नहीं हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अब आप समाप्त कीजिए ।

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, people are electing the MLAs and MPs. They also come within the purview of this Bill.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जरूर चाहता हूं कि यह सारी जो सूचनाएं हमने दी हैं और मेरे मित्र राम फर्नांडिस जी जो यह विधेयक लाए हैं, उस पर भी बहुत लंबी-चौड़ी बहस होनी चाहिए । सदनों के अंदर ही नहीं सदन के बाहर भी और इस पर नेशनल डिबेट होनी चाहिए और उसके बाद इस देश की चुनाव प्रणाली कैसी हो और 51ए में क्या संशोधन लाया जाए, उसके बारे में बहुत चर्चा होकर, बहुत विचार होकर उसमें कोई संशोधन लाने का प्रयास करें । अपने इन विचारों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh) : Madam Vice-Chairperson, I welcome the Constitution Amendment Bill and support it. Of course, it has been brought so late. The consensus of the House and the people outside is that the Constitution should have been amended in this perspective a long time back.

Well, may be India is considered as the largest democracy—there is no denying the fact. But I construe that it is not a quality democracy. The largest does not mean quality, always. And all over these years, 40, 45 years, we have also seen and experienced that we have quite lost respect for the democracy in this country because most of the people, majority of the people, are uneducated. They are poor and they do not know—as some of the Members have already vouched—even the names of the candidates they are voting for; they do not know the purpose of the political parties—wha,t they are meant for—and they are driven by muscle power, by money powers, like herds of cattle, to vote. They hardly vote by conscience as a democracy does mean and does construe, and it is a very, very hurting thing how/our democracy is functioning. Therefore, I construe our democracy as a limping democracy. It is not even a near-perfect democracy—it is a limping democracy. We have borrowed this system from the age-old democracy of England—which it a mature democracy and we have not learnt any lessons from such democracies. It is very unfortunate.

For the first lime we thought that we would run the country in a democratic | fashion and the people will have a real | participation in it. And for whatever content and purpose they had voted for, they expected certain things to come con- tain reforms to come, to make their lives better, to improve their lives, to make their

[Dr. Naunihal Singh]

life a quality life but, surely, instead of being a quality life, it has fallen down.

I remember, when I was campaigning and going down in the rural areas, a lady of about 80 to 90 years caught hold of me and said, "Sit down. 'Don't go running around like a mad dog. You know, I have seen all these years, though I am uneducated, this democracy has failed, completely failed !" That is the test of a democracy. The man in the street, the cemmon man, if that person utters these words, it does mean something.

We, as educated people, in this August House may talk all in glib terms about democracy, may write in golden words in articles and various papers and speak here about the various good aspects of democracy. Of course, democracy is one of the best forms of Government in the world, there is no denying the fact, but can we introspect ? Why don't we soliloquize and talk to our conscience whether we have delivered the goods in the context of the democracy that we envisaged in this particular country ? We have not. The answer will be "No.".

We find, as many hon. Members have already said, muscle power and money power. No educated class of people would like to have, or would manage to have, muscle power or money power. So, what is happening ? As one Member has said, a new generation of people is coming into politics. Some have very bad background. They have money. By hook or crook they have brought money. They have the muscle and all that. They have goons and goondas on their side.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Call them "antisocial elements."

DR. NAUNIHAL SINGH : They are anti-aocial elements. We should have a system of investigating into the background of the candidate before we agree that such a person should be given the ticket or should be allowed to come into the fray. But we do not examine or investigate their background, just as we do when we recruit officials. When we recruit offiecrs and officials. we investigate quite a lot, but we don't investigate into the background of such people become candidates for this political process.

, Ultimately, they become a failure, they bring a bad name to this democracy and they do not deliver the goods. How can they legislate ? They are not aware of it, they are less educated and they are anti-i social elements. So. let us pick up the right people, nice people, educated people I having good background, for our demo-oracy. So, the reforms, electoral reforms ! should consider this point which is very important. Otherwise, elections become infructuous and a mockery of the highest order.

I have a chance to visit other countries nearly every year, and people laugh at us. They say, "What kind of democracy is it ? In every election so many people are killed. There is a lot of violence. We do not have violence here. We go in a very peaceful manner through the media or through the Press or through various other ways which are civil but not in this way that people are forced unknowingly or knowingly to vote this way or that way. That is not a democracy in any way."

So, now comes the question of delimitation. Some of the hon. Members have pointed out about delimitation which is a must now. For Che last so many years certain constituencies in the country have been reserved. In those reservied constituencies there are many people who belong to other commuinities, may be backward communities, who could become good leaders of the people. They have always been denied a chance. So, I would urge through you, Madam, that through the delimitation process those constituencies which have been reserved, should be examined thoroughly, and, if they do not come to the standard of being reserved in terms of the population of the Scheduled Caste people and all that, they should be de-reserved, and the general constituencies may be reserved for them. Now the chance should be given to the people of the reserved constituencies also to come up and also participate in the political process.

Then, lastly—I will not take more lime of the House—a very important point has been raised whether the parliamentary system of government has actually succeeded all these years, 45 years, and whether there is a need for any other form of government. say, a presidential form of government. Of course, there should be a 'national debate.

Also outside for the last several years intellectuals have been murmuring about this. Even abroad I have met some people who say, "You have not succeeded in political process when you have pursued the parliamentary form of government. So, it is better to try another way, a presidential form of government." So, I urge, through yau, Madam, that this is a very important aspect. Now it is in the air that we should discuss this in some national forums and think about it, whether it is time now when we could consider this kind of an alternative rather, to have a presidential form of government, because if we are a democracy, we should leave our country. for the progeny, in a really good manner. We should not scuttle the people's interests and destroy the democracy for no good reasons. Otherwise, the progeny will dub us as traitors and will ,accuse us that we did not think about them and that we did not leave a good system for them to cherish.

Thank you, Madam.

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu): Thank you for giving me this opportunity, Madam. I wish to put forth my views on behalf of the All-India Anna DMK on the Constitution (Amendment) Bill brought by the hon. Member, Shri John Fernandes.

As far as the casting of vote is concerned, the Bill seeks to make it a fundamental duty. I can understand the intention and goodwill of the hon. Member in saying so. Keeping in view very poor polling in general in the recent elections, the hon. Member feels that it would be in the fitness of things for our democracy to make franchise a fundamental duty. As far as the intention of the Bill is concerned, I am one with him. I feel making it a fundamental duty will make inroads into the Fundamental Rights of a citizen which are fruits of-democracy, However, there is a compelling necessity to educate the people about their rights and as citizens of this country in ejecting a Government of their choke. The Press and the electronic media can play a major cede in awakening the democracy consciousness in the people. Social Organisations, voluntary agencies and pressure groups should be used in educating the Illiterate masses in the remote regions of the country. I am sure eradication of illiteracy will go a long way in making the people aware of their democratic rights. i One of the major reasons for a low turnout during the election time is the disillusionment of the people with the frequency of the elections and the election process itself. If there is a frustration among the people .hot to cast their votes, 1 must tel you frankly that all political parties are responsible for it. We should not simply blame the people for not exercising their responsible for it. We should not simply franchise. Election after election has not brought even the basic amenities Of life to the common man. He has got a feeling, what has he to do with the elections ? So this feeling keeps him away from the polling booth.

Being an Advocate, I had an opportunity to mingle with all the sections of the people, particularly the downtrodden and the working class. 1 had an occasion to know about their minds. They feel that the money spent on elections is much more than the money spent to improve the living conditions of the people. This apart, goondaism plays its own role in thwarting ! the election process. Money power and muscle power prevent the people from voting according to their consoieaqe. Therefore, the need of the hour is radical electoral reforms to keep the process' of election sacred and democratic in the true sense of the term. If this is done, I am pretty sure that there would not be any need to i bring in a legislation to make voting a ! fundamental duty. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप तीन मिनट में खत्म कर दें तो इसको आज ही खत्म कर देंगे ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश) : तीन मिनट में ही खत्म करने की कोशिश करूंगा । जो यह बिल फर्नान्डिस साहब ने पेश किया है मैं उसकी हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं यह समझता हूं वक्त जाया करना होगा अगर मैं तमाम चीजें वही दोहराऊं जो बहुत सारे मेम्बरान ने दोहराई हैं । इसके जो मैरिट्स और डिमैरिट्स हैं वह तो हमारे मौजूदा सिस्टम में बताई हैं । जैसी आपको जानकारी होगी कि गोल्डन टाइम में ग्रीस के अंदर अगर कोई आदमी वोट नहीं देता था तो उसको शहरीयत के हक से महरूम कर दिया

[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल]

जाता था । आज भी मलयेशिया, पीरू, सिंगापुर वगैरह में यह सिस्टम लागू है । लेकिन इस के बावजूद कि यह होना चाहिए ऐसा दिल रुह का कहता है और जो हमारा मौजूदा सिस्टम है उसकी खराबियां यहां पर बताई गई कि माइनोरिटी वोट से ज्यादातर सरकारें चलती हैं । यह मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खराबी है इसकी । इसलिए पूरे मुल्क के अवाम का हिस्सा होना चाहिए, उनकी पूरी आरजू और तमन्ना जो है, कोई भी मौजूदा सरकार हो उसमें झलकनी चाहिए । इसके लिए इसको कम्पलसरी करने में बड़ा फायदा महसूस होता है लेकिन मैं डरता हूं कि हिन्दुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क में, जिसकी आबादी इतनी बड़ी है वहां यह प्रेक्टीकल है या नहीं है? मुझे लगता है प्रेक्टीकल नहीं है । लेकिन उसके बावजूद कोई न कोई तरीका ऐसा जरूर ढूंढना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा जो अवाम है वह वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सके । अभी जो कम्पलसरी करने की बात है, मैं अभी फर्नांडिस साहब से बात कर रहा था कि अगर आप इसको कम्पलसरी कर देते हैं और कोई आदमी वोट नहीं डालता है तो मुझे बताइए कि उसको आप सजा क्या मुकर्रर करेंगे ? उन्होंने कहा कि यह तो डिटेल में चैक करने की बात है । मुझे लगता है कि उनके जहन में भी यह बात साफ नहीं है कि कोई आदमी वोट न डाले तो उसको क्या सजा दी जाए । अगर हम लोग सजा नहीं दे पाते हैं तो वोट न डालने वाले को क्या सजा दें। बहरहाल ये सब बातें हमारे जहन में हैं । कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह प्रेक्टिकल नहीं है । वैसे जज्बा बहुत अच्छा है । बहुत सारे प्राइवेट मेम्बरों के बिल यहां पर आते रहते हैं और सरकार उन पर माजरत भी करती रहती है । मुझे याद है, श्री सुरेश पचौरी जी ने बहुत अच्छा बिल बूढ़ों की पेंशन और बेवाओं की पेंशन के लिए पेश किया था । सरकार ने उसे भी माजरत कर ली, क्योंकि ये इस किस्म के काम हैं कि अमूमन हिन्दुस्तान में रहने वाली कोई भी सरकार हो, उसको माजरत ही करना पड़ता है। हमारी हालत इस किस्म की नहीं है कि हम इसको लागू कर सकें । फिर भी हमारे ला मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं और हमारे ला मिनिस्टर साहब दिल्ली के मशहूर लायरों में रहे हैं । इनका बड़ा योगदान है। मैं समझता हूं कि वे जमहूरी अन्दाज के आदमी हैं। कोई न कोई सबील उनको जरूर ढूंढनी चाहिए । जैसा कहा गया है, इसको कम्पलसरी करना प्रेक्टिकल नहीं है। मैं भी कोई ऐसा सुझाव नहीं दे सकता हूं कि आप ऐसा कर दें । लेकिन ला मिनिस्ट्री के पास यकीनन बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं । इस पर कोई न कोई सेमिनार करना चाहिए और इसका इंवेस्टिगेशन करना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए और कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए कि जो हिन्दुस्तान में सरकार आये वह कम से कम 51 फीसद लोगों की सरकार हो, वह 49 फीसद लोगों की सरकार न हो । हमें कोई न कोई तरीका जरूर डेवलप करना चाहिए।

†شری محمد افضل عرف م۔ افضل : "اتر پردیش " تین منٹ میں ہی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو یہ بل فرنانڈیز صاحب نے پیش کیا ہے میں اس کی حمایت کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں وقت ضائع کرنا ہوگا۔ اگر میں تمام چیزیں وہی دُھراؤں جو بہت سارے ممبران نے دہرائی ہیں اس کے جو میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں وہ تو ہمارے موجودہ سسٹم میں بتائی ہیں۔ جیسی آپ کو جانکاری ہوگی کہ اولڈن ٹائم میں گریس کے اندر اگر کوئی آدمی ووٹ

†[] Translation in Arabic Script.

کمپلسری کر دیتے ہیں اور کوئی آدمی
ووٹ نہیں ڈالتا ہے تو مجھے بتائیے کہ
آپ اس کی کیا سزا مقرر کریں گے
انھوں نے کہا ہے کہ یہ تو ڈٹیل میں
چیک کرنے کی بات ہے ۔ مجھے لگتا
ہے کہ اُن کے ذھن میں بھی یہ بات
صاف نہیں ہے کہ کوئی آدمی ووٹ
نہ ڈالیئے تو اس کو کیا سزا دی جائے ۔
اگر ہم لوگ سزا نہیں دے پاتے ہیں
تو ووٹ نہ ڈالنے والے کو کیا سزا دیں
بہر حال یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں
ہیں ۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ
پریکٹیکل نہیں ہے ۔ ویسے جذبہ بہت
اچھا ہے ۔ بہت سارے پرائیویٹ
ممبروں کے بل یہاں پر آتے رہتے
ہیں ۔ اور سرکار اُن پر معذرت بھی
کرتی رہتی ہے ۔ مجھے یاد ہے کہ شری
ستیش پچوری جی نے بہت اچھا بل
بوڑھوں کی پنشن اور بیواؤں کی پنشن
کے لئے پیش کیا تھا ۔ سرکار نے اُس
سے بھی معذرت کر لی ۔ کیونکہ یہ
اس قسم کے کام ہیں کہ عموماً ہندوستان
میں رہنے والی کوئی بھی سرکار ہو اُس
کو معذرت ہی کرنا پڑتا ہے ۔ حالت
اس قسم کی نہیں ہے کہ ہم اس کو لاگو
نہیں دیتا تھا تو اس کو شہریت سے
محروم کر دیا جاتا تھا ۔ آج بھی ملیشیا ۔
پیرو ۔ سنگاپور وغیرہ میں یہ سسٹم لاگو
ہے ۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ ہونا
چاہیئے ۔ ایسا دل سب کا کہتا ہے اور
جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے اس کی
خرابیاں یہاں پر بتائی گئیں کہ مائنارٹی
ووٹ سے زیادہ سرکاریں چلتی ہیں
یہ میرے خیال میں سب سے بڑی خرابی
ہے ۔ اس کی ۔ اس لئے پورے ملک
کے عوام کا حصّہ ہونا چاہیئے ان کی پوری
آرزو اور تمنّا جو ہے کوئی بھی موجودہ
سرکار ہو اس میں جھلکنی چاہیئے ۔ اس
کے لیئے اس کو کمپلسری کرنے میں بڑا
فائدہ محسوس ہوتا ہے ۔ لیکن میں ڈرتا
ہوں کہ ہندوستان جیسے کثیر آبادی والے
ملک میں جس کی آبادی اتنی بڑی ہے
وہاں یہ پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے ۔
مجھے لگتا ہے نہیں ہے ۔ لیکن اس کے
باوجود کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ضرور
ڈھونڈنا چاہیئے جس سے زیادہ سے
زیادہ جو عوام ہے وہ ووٹنگ رائٹس
کا استعمال کر سکے ۔ ابھی جو کمپلسری کرنے
کی بات ہے میں ابھی فرنانڈیز صاحب
سے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ اس کو

- پھر بھی ہمارے لا منسٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لا منسٹر صاحب دلی کے مشہور لائیروں میں رہے ہیں - ان کا بڑا یوگدان ہے - میں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوری انداز کے آدمی ہیں - کوئی نہ کوئی سبیل ان کو ضرور ڈھونڈنی چاہیئے - جیسا کہا گیا ہے اس کو کمپلسری کرنا پریکٹیکل نہیں ہے - میں بھی کوئی ٹھوس سجھاؤ نہیں دے سکتا ہوں کہ آپ ایسا کر دیں - لیکن لا منسٹری کے پاس بہت سارے ایکسپرٹس ہیں - اس پر کوئی نہ کوئی سیمینار کرنا چاہیئے - اور اس کا انویسٹیگیشن کرنا چاہیئے اور ریسرچ کرنا چاہیئے - اور کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا چاہیئے کہ جو ہندوستان میں سرکار آئے وہ کم سے کم ۵۱ فیصد لوگوں کی سرکار ہو - وہ ۴۹ فیصد لوگوں کی سرکار نہ ہو - ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ڈیولپ کرنا چاہیئے -

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मुझे एक राय लेनी है । शुक्रवार के दिन ढाई बजे से 5 बजे तक प्राइवेट बिजनेस का होता है । अब 5 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। मूवर को अपना रिप्लाई भी डिबेट का देना है । मंत्री जी भी रिएक्ट करना चाहेंगे। उसके बाद मालूम नहीं कि वोटिंग करना चाहेंगे या विदड्रा करना चाहेंगे । आप लोगों की सलाह से थोड़ा-सा समय एक्सटेंड करके इसको हम ले सकते हैं क्योंकि 6 बजे तक तो बैठना ही है, यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है । इसको हम आज ही निपटा सकते हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : इसको हम अगले शुक्रवार को ले सकते हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अगला शुक्रवार तो संकल्प का होगा । इसलिए क्या आप इसको आज ही समाप्त करना चाहेंगे ?

श्री ईश दत्त यादव : अगली बार के लिए रहने दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मुझे तो कोई एतराज नहीं है । मैं तो सदन की राय जानना चाहती हूं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हो सकता है इस पर और लोग भी बोलना चाहें ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सर्वसम्मति से तय कीजिये । अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वैसा कीजिये । इस बारे में विभिन्न सर्वसम्मति से तय कीजिये ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R.^BHARDWAJ) : Private Members time is over. I have to be in the other House also. I have been sitting here. I want to reply within five minutes. The mover can then decide about it because .... *(Interruptions),*

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : इसका मतलब तो यह हुआ कि उनकी तरफ से 10-15 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाए और काम को खत्म किया जाए ।

श्री ईश दत्त यादव : इसको बढ़ाया जा सकता है ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सदन सब कुछ करने में सक्षम है ।

SHRI H. R. BHARDWAJ : No, *(Interruptions).* Let it be done. No problem.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इस पर कुछ लोग और बोलना चाहेंगे ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : ठीक है ।

श्री ईश दत्त यादव : महोदया, यह बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है । इसको अगले शुक्रवार तक के लिए रख दीजिये ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अगले से अगले शुक्रवार तक के लिए इसको डेफर कर दिया जाए । अब तो सिर्फ एक मिनट का समय बाकी है । क्या आप जवाब देना चाहेंगे ?

SHRI JOHN F. FERNADES : Madam, some speakers are absent. We have to give opportunity to them also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Mr. Minister, that means you do not want to reply now. *(Interruptions).*

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मुझे आप सिर्फ एक मिनट का समय दे दीजिये ।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: مجھے آپ صرف ایک منٹ کا سمے دیجئے۔

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : एक दूसरा बहुत ही अहम मुद्दा है । मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि अब दो दिन की छुट्टी है । सारे मुल्क की निगाह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तरफ लगी हुई है जो अयोध्या के सिलसिले में है ।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: ایک دوسرا بہت ہی اہم مدعا ہے۔ میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب دو دن کی چھٹی ہے سارے ملک کی نگاہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی طرف لگی ہوئی ہے جو ایودھیا کے سلسلے میں ہے۔

†[ ] Translitration in Arabite Script.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : 5 बज गए हैं । मैं अब स्पेशल मेंशन्स ले रही हूं । खास मुद्दे का यह समय नहीं है ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : यह बहुत अहम मसला है ।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : पहले मुझे स्पेशल मेंशन्स लेने हैं ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैं यह बात कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है . . . **(व्यवधान)** . . .

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کی بات ہے - - - - "مداخلت" . . .

5.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप मेरी बिना इजाजत के बोल रहे हैं । प्राइवेट मेम्बर्स का बिजनेस समाप्त हो गया है । उसके बाद जो स्पेशल मेंशन लिस्टेड हैं, जिन पर लोगों ने अपनी सहमति दी है, 5 बजे बोलने की, मैं उनको बुलाऊंगी । आप बीच में उठ गये ?

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैडम, जाहिर है कि मैं आपकी इजाजत के बगैर इस मसले को नहीं उठा सकता ।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: میڈم ظاہر ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر اس معاملے کو نہیں اٹھا سکتا۔

†[ ] Translitration in Arabic Script.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मांगिये इजाजत । अभी 5 बजे हैं । Now the Private Members' Business is over. Now I am taking up Special Mentions. Shri Satish Pradban—absent. *(Interruptions)*

Shri Satya Prakasb Malaviya. *(Interruptions)*

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैडम, सुप्रीम कोर्ट . . .

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: میڈم سپریم کورٹ۔

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैंने इस समय स्पेशल मेंशन लेने की बात कर दी है ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश की नजर लगी हुई है. . . .

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: سپریم کورٹ کے فیصلے پر دیش کی نظر لگی ہوئی ہے۔ . . .

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : बैठिये अफजल साहब । आप अपना स्पेशल मेंशन कहिए । . . . (व्यवधान) . . . मैंने आप को इजाजत नहीं दी है ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैं सब जानता हूं लेकिन यह मसला इतना अहम है कि. . .

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: میں سب جانتا ہوں۔ لیکن یہ مسئلہ اہم ہے کہ . . .

Hindi and Urdu

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मसले की अहमियत मैं समझ रही हूं। मुझे पहले स्पेशल मेंशन लेने दीजिये । . . . (व्यवधान). . .

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Neither have I iidentifled you nor have I permitted you to speak. Please sit down. I have identified Mr. Satya Pvakash Malaviya. Let him speak. Let me finish with the Special Mention*.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैडम, क्या मुझे इसकी इजाजत नहीं मिलेगी।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: میڈم کیا مجھے اس کی اجازت نہیں ملے گی۔

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : नहीं ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : ठीक है ।.

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: ٹھیک ہے۔

SPECIAL MENTIONS

NEED TO WITHDRAW THE DECISION TO ABOLISH PALI, ARABIC AND PERSIAN LANGUAGES FROM THE LIST OF OPTIONAL SUBJECTS OF THE CIVIL SERVICES MAIN EXAMINATION

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh) : Madam Vice-Chairman, I am drawing the attention of this House and through this House of this Government to a very important issue on which the student community is very much agitated. Madlam, *a* six-member Commiittee headed by Professor Satish Chandra, who once upon a time was also the Chairman of the University Grants Commission, was appointed by the Government in August 1988, to review and evaluate the

†[ ] Translitration in Arabic script,